[Shri P. Shiv Shanker]

(*Interruptions*) Whatever it is. We fervently hope.

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra): Restrain... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: You cannot challenge the knowledge of Mr. Shiv Shanker as far as the law is concerned. Please take your seat.

SHRI P. SHIV SHANKER: Madam, may I very earnestly make an appeal that in passing the earlier Resolution we have risen above party level. This House has acted as one institution. Therefore, let us maintain that stature even now. (*Interruptions*) There would be differences—differences in my own party also. But a matter like this is of serious concern to all of us.

I would like to submit that in the second part which you have read, Madam, we have not restrained the Court in any form. We only fervently hope—it is a hope; it is a matter for them to consider... (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: It is a threat.

SHRI P. SHIV SHANKER: No. (*Interruptions*) Then I regret. We cannot interpret what has been read by the Deputy Chairman as a threat to the Supreme Court. We are very responsible people. We have our own power and authority. We cannot threaten an institution of the judicial system. How dare can we do it? Are we that irresponsible? Therefore, what has been said and read out is in a very restrained language. Let us interpret it in that fashion.

You have been pleased to seek the approval of the House in giving time to Mr. Tewary. And let us stand by it. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have allowed Mr. Shiv Shanker.... (*Interruptions*) Please take your seat.

Now, the Constitution (Sixty-eighth Amendment) Bill.

Shri Ram Vilas Paswan... (*Interruptions*)

SOME HON. MEMBERS: What is the decision?

THE DEPUTY CHAIRMAN: The decision is now with you. Decision is never with the Chair. (*Interruptions*) Decision is with the House. I put it before the House and the House voted it. At 4 o'clock he will come. (*Interruptions*). I said that at 4 o'clock, the House should decide on what I have read out. (*Interruptions*). Okay. I put it again to the House—

"That Mr. K. K. Tewary be given time till 4 o'clock today."

The motion was adopted.

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: That is not the point. Delete 'Supreme Court' from the Resolution. (*Interruptions*)

SHRI SURESH KALMADI: 'Supreme Court' may be deleted from the Resolution... (*Interruptions*)

SHRI MADAN BHATIA: ...on the conduct of an aggrieved person who has gone to the Supreme Court in exercise of his a fundamental Rights. So, I am against it... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: That matter is over now. We are going to the Constitution Amendment Bill. (*Interruptions*) Please. That matter is over now. Yes, Mr. Minister.

Constitution (Sixty-Eighth Amendment) Bill, 1990

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): Madam, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed

by Lok Sabha, be taken into consideration."

श्री सीताराम केसरी (बिहार): आप लोगों ने एक-डेढ़ वर्ष में क्या किया है? ...(**व्यवधान**) हम सब यहां हैं। ...(**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I request the Members again with all humility at my command that please let us not create an atmosphere where we might regret it afterwards. Please, allow me to do the business today.

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति जी, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहां विचार कर रहे हैं और यह विषय, जो देश का कमजोर वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति से संबंधित है और कल लोक सभा में शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, उस संबंध में सर्व-सम्मति से ...(**व्यवधान**) केसरी जी अब हम लोग जरा शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शडयल्ड ट्राइब्स पर आ जाएं। ...(**व्यवधान**)

SHRI SITARAM KESRI: I entirely support you 100%.

श्री राम विलास पासवान: सौ परसेंट ठीक है।

श्री सीताराम केसरी: साठ साल से हम इस पर अकेले ही बोल रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान: हम जानते हैं, बिलकुल।

श्री सीताराम केसरी: यह क्या तरीका है कि आप सज्जन बन जाएं और हम...(**व्यवधान**)...

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश): जरा धैर्य रखें।

श्री राम विलास पासवान: तो यह एक ऐसा विषय है जिस पर मैं समझता हूं कि पूरा देश इस ओर नजर लगाए हुआ है और तमाम पक्षों की मांग रही है कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अभी अनुसूचित जाति, जन-जाति के दो आर्गेनाइजेशंस हैं, एक अनुसूचित जनजाति आयोग है और दूसरा अनुसूचित जन-जाति आयुक्त है, लेकिन यह दोनों जो संस्थायें हैं, उनको वह अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं और इसका नतीजा है कि वह कहीं जाकर के न तो इंक्वायरी कर पाते हैं, यदि किसी अफसर को बुलाना हुआ, उससे बातचीत करनी हुई, तो अफसर की मर्जी पर रहता है कि वह उनको कोई समय दे या नहीं दे।

फिर उनकी जो रिपोर्ट आती है संसद में पेश होती है, उस पर भी संसद में ठीक से बहस नहीं हो पाती है और यदि कभी बहस हो भी पाती है, तो उसकी रिकोमेंडेशंस क्या है, उनको कोई देखता भी नहीं है।

तो इन्हीं सब कारणों स यह बराबर मांग होती रही कि अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग जो है, उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, उनको स्टैट्युटरी पावर दी जाए, उनको दांत दिया जाए, जिससे कि वह एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट कर सकें और अनुसूचित जाति, जनजाति की रक्षा कर सकें। 1978 में भी इस संबंध में लोग सभा में विधेयक आया था, लेकिन वह पास नहीं हो सका।

इसको दुबारा हमने रखने का काम किया है और हमको इस बात की खुशी है कि लोक सभा ने इसको पारित कर दिया है और राज्य सभा में यह मामला आया हुआ है और यदि आप इसमें देखेंगे, तो इसमें हमने जो प्रावधान रखा है, उसमें पहले तो हमने रखा है, कि इसमें एक चेयरपर्सन होगा, दूसरा उपाध्यक्ष होगा। जो अध्यक्ष है, उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में केबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया है, जो उपाध्यक्ष है, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है।

[श्री राम विलास पासवान]

जो इनके अधिकार हैं, उसमें हमने साफ-साफ कहा है कि न सिर्फ यह जाकर जांच करेगा, बल्कि एग्जामिन करने का भी काम करेगा और हमने यह भी कहा है कि एक बार अनुसूचित जाति के अध्यक्ष होंगे, तो अनुसूचित जन-जाति के उपाध्यक्ष होंगे और फिर दूसरे टर्म में अनुसूचित जन-जाति के अध्यक्ष होंगे और अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष होंगे। यह कम्पलसरी रहेगा, जिससे कि अनुसूचित जाति, जन-जाति दोनों को मौका मिले।

इसमें उपाध्यक्ष के अलावा, पांच सदस्य रहेंगे, जो देश के चुने हुए सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, दत्तचित्त हैं, वह इसमें रहेंगे और इसके अधिकार में हमने जहां तक संभव हुआ है, हमने इसमें कोर्ट आफ़ इंक्वायरी एक्ट का नहीं कहा है, लेकिन कमीशन आफ़ इंक्वायरी एक्ट के समान नाम नहीं दिया है, लेकिन यह सारे की सारी पावर्ज हमने रखी हैं और हमने उसमें यहां तक कहा है कि यदि इसमें कोई कमी रह जाती है, तो माननीय सदस्य निश्चित रूप से यदि उसमें सुझाव देंगे और ध्यान आकृष्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने एक अलग से भी क्लाज रखा है, जिसमें हमने कहा है कि राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह यदि इनको कोई और अधिकार देना चाहें, तो वह दे सकते हैं।

इसलिए, उपसभापति जी, यह जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, यह बहुत ही छोटा है, लेकिन यह बहुत ही असरदार है और मैं समझता हूं कि जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं खास करके जो अनुसूचित जाति, जन-जाति के लोग हैं, उनकी सुरक्षा करने में, उनके हित की रक्षा करने में यह आयोग सक्षम होगा।

मैंने बार-बार कहा है कि हमने जो भी जनता के सामने वादे किये थे, जो भी जनता के सामने हमने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए उनके लिए विधेयक बनाने के लिए, उनके हित की रक्षा करने के उपायों के लिए हमने वादे किये थे, उनमें एक होकर जहां हम आगे बढ़े रहे हैं, जहां इसी सदन में अनुसूचित जाति, जन-जाति के आरक्षण की अवधि दस साल तक बढ़ाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया, जहां इसी सदन ने नव-बौद्धों को अनुसूचित जाति, जन-जाति के समान सुविधा दी जाए, उस संबंध में सर्व-सम्मति से निर्णय लिया, जहां इसी सदन में अनुसूचित जाति, जन-जाति के ऊपर जुल्म और अत्याचार रोकने के संबंध में विधेयक के संबंध में सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया, वहीं हम चाहेंगे कि आज जो महत्वपूर्ण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में आया है, हम चाहते हैं कि यह हाऊस इसको भी सर्व-सम्मति से पास करे और हमारे आपस के झगड़े चलते रहेंगे, राजनीतिक हमारे विवाद उठते रहेंगे, लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीति से उठ कर सारी चीज से ऊपर है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि इसी मुद्दे पर जितना जल्दी हो सके, सारा सदन एकमत से इसको पास करने का कष्ट करे, जिससे कि यह कानून का रूप ले सके।

हमारे पास बहुत सारे संशोधन आए हैं। जब संशोधन पेश किये जायेंगे, तो हम उन पर जरूर आपको बतलायेंगे लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आपने संशोधन दिये हैं, पावर के संबंध में जो भी आपको सुझाव देने हों, सरकार उस पर खुले दिल से विचार करने के लिए तैयार है। जो भी अनुसूचित जाति, जन-जाति की भलाई के लिए हो, हमको कदम उठाना चाहिए। इस संबंध में जो भी आप सुझाव देंगे, हम उनका स्वागत करेंगे।

अब कमेटी में पांच मेम्बर रहें, या आठ रहें या दस मेम्बर रहें, यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, जितना महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि कमीशन को कैसे इफैक्टिव बनाया जाए, कमीशन कैसे अनुसूचित जाति, जन-जाति के अधिकार को, उसके हित को सुरक्षित रख सके।

हमने कहा है कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, जहां कहीं भी योजना आयोग है, या जहां कहीं भी योजनाएं बनेंगी, उसमें निश्चित रूप से आयोग से भी विचार-विमर्श किया जाएगा तो यदि आप देखेंगे कि यह सारी चीजें और प्रावधान हमने रखा है, इसलिए हम इस सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस सदन से आग्रह करेंगे और अपील करेंगे कि इसको सर्वसम्मति से, एक मत से जितना जल्द हो पास करने का कष्ट करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक को विचारार्थ, आपके माध्यम से, आपकी अनुमति के अनुसार सदन में रखने की इजाजत चाहता हूं।

उपसभापति : मोशन मूव... **(व्यवधान)**

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) उपसभापति महोदय, मैं ऑब्जेक्शन कर रहा था। .. **(व्यवधान)**

उपसभापति : आप बैठ जाइये। अभी कोई ऑब्जेक्शन का समय नहीं है। आप हर चीज को ऑब्जेक्ट करते है।

श्री राम अवधेश सिंह : मुझे ऑब्जेक्शन करने दीजिए। ...**(व्यवधान)** महोदया, यह संवैधानिक धारा के आधार पर मैं इसका विरोध कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**

उपसभापति : आप मुझे अमेंडमेंट मूव करने दीजिए। There are two amendments for reference of the Bill to Select Committee by Shri S. S. Ahluwalia and Shri V. Narayanasamy. Yes, Mr. Ahluwalia, you move your amendment.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों :

1. श्री राम अवधेश सिंह
2. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी
3. श्री अनन्त राम जायसवाल
4. मौलाना ओबैदुल्ला खां आजमी
5. चौधरी राम सेवक
6. श्री सिकन्दर बख्त
7. श्री वी० गोपालसामी
8. श्री चतुरानन मिश्र
9. श्री दीपेन घोष
10. श्री शंकर दयाल सिंह
11. श्री रामजेठमलानी
12. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा
13. श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया
14. श्री कृष्ण कुमार दीपक
15. श्री जी० स्वामीनाथन

की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और उसे राज्य सभा के अगले सत्र के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिए जाएं।"

श्री सिकन्दर बख्त (मध्य प्रदेश) : क्या इसके लिए इजाजत लेना जरूरी नहीं है।

उपसभापति : वह तो अभी उन्होंने मूव किया है। मूव कर दें वरना वोटिंग होगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश) : सवाल यह है कि जिन मेम्बरों के नाम लिए, उनसे पूछा गया है?

उपसभापति : अब उन्होंने बोल दिया है, कोई बात नहीं।

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): They have to take their consent.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam, I move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members:

1. Shri H. Hanumanthappa;
2. Shri Ajit P. K. Jogi;
3. Shri S. S. Ahluwalia;
4. Shri N. E. Balaram;
5. Shri Ram Awadhesh Singh;
6. Shri Sukomal Sen;
7. Shri V. Gopalsamy;
8. Shri Kamal Morarka;
9. Shrimati Bijoya Chakravarty; and
10. Shri V. Narayanasamy

with instructions to report by the last day of the next Session of the Rajya Sabha."

The questions were proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The motions for consideration of the Constitution (Sixty-eighth Amendment) Bill, 1990, and for reference of the Bill to Select Committee are open for discussions. Shri B. N. Pandey.

श्री राम अवधेश सिंह : महोदया, मैंने कहा कि मुझको ऑब्जेक्शन करना है।

उपसभापति : देखिए, आपको ऑब्जेक्शन करना हो तो आपको लिख कर कायदे के साथ भेजना चाहिए। अब जब आपका भाषण का समय आएगा तो आप जरूरत जितने चाहें ऑब्जेक्शन लगा देना। अभी आप यहां कायदे से कर नहीं सकें।

You can't do it because it is out of order.

श्री राम अवधेश सिंह : मैडम, यह कास्टीट्यूशनल मामला है।...(**व्यवधान**)

उपसभापति : कुछ भी हो, पर आप कर नहीं सकते। ...(**व्यवधान**) वह कास्टीट्यूशनल सवाल है। आप बैठ जाइये।

श्री राम अवधेश सिंह : सब क्लाज 3 का...(**व्यवधान**) सुनिए आप, ऐसी कोई बात नहीं है।

उपसभापति : आपका जब समय आए तब कहिए।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं अपने प्वायंट आफ आर्डर पर खड़ा हूं।

उपसभापति : मैंने आपका प्वायंट आफ आर्डर ओवररूल कर दिया है। आप कृपया तशरीफ रखिए।

श्री राम अवधेश सिंह : आप बिना सुनें कैसे ओवररूल कर सकती हैं?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have called him. I am not allowing.

श्री राम अवधेश सिंह आप बात सुनिए जरा।

उपसभापति : नहीं सुनेंगी।

श्री राम अवधेश सिंह : अंडर आर्टिकल 338 सब क्लाज 3 में कहा गया है

"In this article, reference to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be construed as including references to such other backward classes as the President may..

उपसभापति : राम अवधेश जी, मैं आपसे यह विनती करती हूं कि आप कृपया बैठ जाइये। आप बोलेंगे तो रेकार्ड पर नहीं जाएगा। कोई फायदा नहीं, इसलिए आप बैठ जाइये। प्लीज, बैठ जाइये।

श्री राम अवधेश सिंह : ...

उपसभापति : आप बैठ जाइये, बैठ जाइये। पांडे जी बोलिए।

श्री राम अवधेश सिंह। *

SHRI RAM AWADHESH SINGH:*

उपसभापति : राम अवधेश जी, आप का व्यवस्था का प्रश्न था, आप ने कह दिया। मंत्रीजी ने सुन लिया है, वे जवाब देंगे ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAM AWADHESH SINGH:*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I overruled it.

SHRI RAM AWADHESH SINGH:*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I did it.

SHRI RAM AWADHESH SINGH:*

उपसभापति : बिल पास होने से पहले आपका नाम आएगा, आप भाषण करें तो मंत्रीजी का ध्यान इस बारे में आकर्षित करिए। मैंने पांडे जी का नाम बुलाया है, आप तशरीफ़ रखिए।

SHRI RAM AWADHESH SINGH:*

उपसभापति : उन्होंने सुन लिया। पांडे जी, आप बोलिए।

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): What is the use of discussing it? We can get it passed.

श्री विशम्भर नाथ पांडे (नामनिर्देशित) : माननीय उपसभापति महोदया मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि जब तक जनता का, विशेष रूप से उच्च जाति की जनता का, समर्थन इसे नहीं मिलेगा तब तक कोई भी बिल, कोई भी सुधार इफेक्टिव नहीं हो सकता। इसकी जड में क्या है? इसकी जड़ में अगर हम जाएं तो हम पाएंगे कि हमारी जो जाति प्रथा है, वह इसकी जड़ में है।

महोदया, मुझको याद है मैं 1925 के नवम्बर महीने में सेलम में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का मेहमान था। उनके आगे के कक्ष में रहने की व्यवस्था थी और पीछे के कक्ष में उनकी रसोई थी और दूसरे स्नानघर वगैरह थे। मैं कोई फ़ाइल पीछे छोड़ आया था इसलिए लगभग 2 बजे खाने के कमरे में उसे लेने के लिए गया। राजा जी के बड़े भाई भोजन कर रहे थे। वह बड़े निष्ठावान ब्राह्मण थे पूजा-पाठ के। वे एक बार भोजन करते थे। मैं फ़ाइल लेकर चला आया। उस दिन राजा जी ने मुझसे शिकायत की कि तुमने मेरे भाई को आज भूखा मार दिया। मैंने कहा कि भूखा मार दिया, वह कैसे? कहने लगे जब वह भोजन कर रहे थे, तुम वहां गए थे? मैंने कहा, हां मैं वहां गया था, लेकिन बहुत दूर से अपनी फ़ाइल लेकर चला आया था। कहने लगे हम उत्तर भारत के ब्राह्मण नहीं हैं। हमें दृष्टि दोष लगता है। तुम ने उन को देखा और उन्हें दोष लगा और उन्होंने भोजन छोड़ दिया। तो अगर ऐसी भावना रही दृष्टि दोष जैसी, तो इसकी जड़ में क्या है? इसकी जड़ में हमारी जाति प्रथा है। पांच-सात हजार वर्ष पहले आर्यों ने एक ऐसा समाज विधान बनाया और उस समाज विधान को बनाकर एक विशेष जाति को मल-मूत्र उठाने का काम दे दिया, एक विशेष जाति को मोची का काम दे दिया, एक विशेष जाति को बसोड़ का काम दे दिया। ये सब जन-जातियां थीं। आज दो सौ पीढ़ियों के बाद भी जो मल-मूत्र उठा रहा था, वह आज भी मल-मूत्र उठा रहा है।...(**व्यवधान**)...तो कैसे हमें गर्व हो सकता है कि हम हिंदू हैं? जब तक यह जाति-प्रथा रहेगी, तब तक इस जाति का उत्थान नहीं हो सकता, समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए असली चीज यह है कि हम इस जाति-प्रथा का विनाश करें।

उपसभापति महोदया, सन् 1896 में केरल के जिन नम्बूदरी ब्राह्मणों ने

*Not recorded.

[श्री बिशम्भरनाथ पांडे]

इसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, उन्होंने पोप के पास एक अर्जी भेजी कि जो लोग नम्बूदरी ब्राह्मण इसाई हो गए हैं, उनके गिरजों में आप एज़वा लोगों को प्रवेश न करने दें और सन 1896 में पोप ने एक बुल जारी किया, जिसमें कहा गया कि नम्बूदरी ब्राह्मणों के गिरजे में एज़वा इसाई नहीं जाएंगे। आज भी जाति-प्रथा ने क्या कर रखा है? मेरे मित्र जस्टिस शंकर शरण इलाहाबाद में हरिजन आश्रम चला रहे थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि हमें कुछ अमली कदम उठाना चाहिए, हमें हरिजनों के साथ बैठकर उसी पंगत में भोजन करना चाहिए। मैंने कहा—जस्टिस शंकर शरण मैं तो दीक्षित हो चुका हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ रहूंगा। एक सफ़ाई करने वाले कर्मचारी भाई की लड़की की शादी थी। वहां हम लोगों को बुलाया गया। हम गए। जस्टिस शंकर शरण ने यह कहा कि हम पंगत में बैठकर खाएंगे, टेबल पर बैठकर नहीं खाएंगे। हम बैठे पंगत में और खाना खाया। उनको कुछ लगा कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। दूसरे दिन फिर क्या हुआ कि हम लोग जब दूसरी शादी में गए किसी सफ़ाई कर्मचारी भाई के यहां और उन्होंने बहुत चाहा कि पंगत मे बैठा दिया जाए, लेकिन उनको पंगत में नहीं बैठाया गया। क्यों नहीं बैठाया गया? उन्होंने कहा कि आपने पिछली बार हेला टाट के भाई के यहां भोजन किया और हम बांदा टाट के हैं, हम आपको अपनी पंगत में नहीं बैठाएंगे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक जाति के भीतर भी इतनी उपजातियां हैं, इतनी छुआछूत है।

तो प्रश्न यह है कि हम कैसे इनका सुधार करें। आपने नियम बनाए हैं, इसमें अधिकार दिए हैं और मुझे प्रसन्नता है कि एक ऐसे व्यक्ति का नाम चेयरमैन के लिए आपके सामने है, जिनकी ईमानदारी और जिनकी निष्ठा के ऊपर किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता। वह एक निष्ठावान व्यक्ति है। अगर वह चेयरमैन रहेंगे तो निश्चय ही कुछ काम होने की संभावना नजर आती है।

उपसभापति महोदया, जहां तक जनजातियों का प्रश्न है, मैं कई वर्ष उनके बीच में रहा हूं। मैं खुद एक जनजातीय क्षेत्र में पैदा हुआ हूं, जनजातियों के बीच में रहा हूं, गोण्ड भाईयों के बीच में रहा हूं और मेरा बचपन उनके साथ में बीता है। मैंने देखा है कि दो रुपए मासिक पर उन्हें नौकरी दी जाती थी यानी चौबीस रुपए साल पर उन्हें नौकरी दी जाती थी, उन्हें बरसादिया कहते थे, और उन्हें एक कंबल दिया जाता था। उनसे पूरे वर्ष भर काम लिया जाता था। ज्वार का आटा पानी में पका लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और उससे ही उनका पेट भर जाता था, लेकिन शरीर जर्जर हो जाता था। इस तरह हमने उन आदिवासियों के साथ ऐसा बर्ताव किया। मैं सोचता था कुछ ज्यादा काम हो गया होगा, लेकिन जब उड़ीसा में मुझे राज्यपाल की हैसियात से पांच साल रहने का मौका मिला तो मैंने देखा कि वहां आदिवासियों की क्या स्थिति है, किस तरह उनकी महिलाओं को पांच-पांच, सात-सात मील दूर जाकर गंदे नाले से पानी पीने का भरकर लाना पड़ता है। मैंने वहां की सरकार से कहा कि आप इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इतनी दूर से इनको पानी लाना पड़ता है और इतने कष्ट उठाने पड़ते हैं। गवर्नर को अधिकार है, कंस्टीट्यूशन के अंदर विशेषाधिकार है उसको कि वह ऐसी शिकायतों को सीधे राष्ट्रपति के सामने रखे और राष्ट्रपति के द्वारा सरकार को मजबूर करे कि उनकी तकलीफ़ों को दूर किया जाए। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब ह्यूमन रिसोर्सेज़ मिनिस्ट्री के सोश्यल रिफ़ार्म मंत्रालय ने एक आदेश भेज दिया कि गवर्नर सीधे अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को न भेजें वह राज्य की सरकार के मार्फ़त भेजें। नतीजा यह हुआ कि राज्य सरकार उन रिपोर्टों को दबाकर बैठ जाती थी 3-3, 4-4

बरस तक वे रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंचती थीं। मैं यह चाहता हूं कि यह देखें कि इसमें जो विशेषाधिकार गवर्नरों को दिए गए हैं, उन विशेषाधिकारों का पालन किया जाए और कोई दूसरा मंत्रालय इसके बीच में दखल न दे।

12.00 NOON

आज हालत यह है कि शिक्षा के बारे में, मैं उड़ीसा का उदाहरण आपको दूं। कटक में शिक्षा का औसत 34 प्रतिशत था लेकिन कोरापुट में, फूलबानी में उनका औसत 8 प्रतिशत और 11 प्रतिशत था। महिलाओं में शिक्षा की स्थिति यह थी कि वहां 2 प्रतिशत, 1 प्रतिशत शिक्षा थी। स्कूल खोले जाते हैं लेकिन शिक्षक नहीं जाते, अस्पताल खोले जाते हैं लेकिन डाक्टर नहीं जाते। क्या है यह? यह किस तरह से काम करेंगे? सवर्ण जातियों को, जो इस वक्त अच्छी स्थिति में है, जो अपने गरीब भाइयों को, हरिजनों को, गिरिजनों को सहायता दे सकते हैं, अगर वे सहायता देने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, आप भले ही विधेयक में परिवर्तन कर दें लेकिन विधेयक में परिवर्तन करने का अगर अमली असर नहीं होता तो फिर कैसे आप उन्हें समकक्ष लाएंगे?

माननीया उपसभापति महोदया, हमारे देश में जनजातियों और परिगणित जातियों की संख्या 24–25 प्रतिशत है। इसका अर्थ यह है कि अगर गाड़ी का एक पहिया कमजोर हुआ तो फिर कैसे यह गाड़ी चलेगी? कैसे हम दुनिया के सामने मुंह दिखाने के लायक रहेंगे कि हम अपने भाइयों के साथ बराबर का बर्ताव करते हैं? अगर हम अपने भाइयों के साथ बराबर का बर्ताव नहीं कर सकते तो फिर यह दंभ कि हम डैमोक्रेसी को मानते हैं, यह दंभ कि हम समाजवाद को मानते हैं, कैसे है? इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम हर तरीके से जो भी उन पर अत्याचार होते हैं, उन्हें रोकें। आज देश को आजाद हुए 44 बरस हो गए, लेकिन क्या अब भी हम अपने हरिजन भाइयों के घरों को जला [illegible]

हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्या उनको जला नहीं देते? क्या उन्हें निर्दयतापूर्वक मार नहीं देते? इसके पीछे भी एक आर्थिक प्रश्न है। हमें उनको जमीन देनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि कैसे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। खाली जमीन देने से भी काम नहीं चल सकता है। उनके पास बैल नहीं हैं, बीज नहीं हैं, साधन नहीं हैं, खाद नहीं है, कैसे वे जमीन से लाभ उठा सकते हैं?

मैंने एक प्रयोग किया था उड़ीसा में। दो एकड़ जमीन हमने कई आदिवासी परिवारों को दी, जो ऊंचे पहाड़ों पर रहते थे और ऊंचे में उनकी खेती नहीं हो सकती थी। पानी नहीं बरसा तो फ़सल सूख जाती थी। हमने यह किया और कहा कि यहां पेड़ लगाइए, काजू के पेड़ लगाइए। उन्हें दो बरस तक आप दैनिक वेतन दीजिए, भत्ता दीजिए और उनसे कहिए कि वे मजदूर की तरह काम करेंगे और उनको इतना पैसा मिलेगा रोज का। जब वह पेड़ बड़ा हो जाए, फ़ल देने लगे, तब वह दो एकड़ का बाग उनके सुपुर्द कर दीजिए। नतीजा उसका यह हुआ कि उन्हें 5,6 और 8 हजार रुपए आमदनी काजू की पैदावार से होने लगी, अपने पैरों पर वे खड़े हो गए। तो हमें यह भी देखना होगा कि कैसे वे अपने पैरों पर खड़े किए जाएं हमारे जो गिरिजन और आदिवासी भाई हैं, कई तो ऐसी स्थिति में हैं कि बिल्कुल निर्वस्त्र रहते हैं। जिसको हम सभ्यता कहते हैं, उस सभ्यता से उनका कोई संबंध नहीं है। कैसे उनको हम मेनस्ट्रीम में लाएंगे, कैसे हम उनको पूरी जानकारी में लाएंगे यह सोचने की बात है। तो महोदया, विषय बहुत गंभीर है। यह विषय आर्थिक है, सामाजिक है। समाज सुधार की जरूरत है। यह विषय जात-पात से जुड़ा हुआ है। कैसे हम जात-पात के झगड़े से इनको उबार सकते हैं और ऊंचा उठा सकते हैं यह सोचने की बात है।

तो विधेयक में आपने जो शक्तियां दी हैं उन शक्तियों को [illegible]

[श्री बिशम्भर पंडे]

उसके साथ-साथ आप उनको इस प्रकार के अधिकार दें ताकि वह उनका सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकें। आज तो हालत यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी किसी को कुछ समझता ही नहीं है। वह अपने को सर्वाधिकार संपन्न मानता है। तो जब तक आप ऐसे नियम नहीं बनाएंगे कि अगर वह चाहे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट पुलिस को भी सस्पेंड कर सकें तब तक उनको अपने अधिकारों की सीमा का बोध नहीं होगा। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि उनके अधिकारों को और विस्तृत किया जाए, अमली तौर पर विस्तृत किया जाए और इस बात की चेष्टा की जाए कि कैसे हम न केवल अधिकार के बल पर इस समस्या को हल करें बल्कि सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर उनको सुलझाने की कोशिश करें।

माननीय उपसभापति महोदया, आपने मुझे इस बिल के समर्थन के लिए वक्त दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन एक बात और है कि जहां हमारी सरकार ने यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया है, उसी तरह से उनको जो दूसरे आयोग हैं जैसे अल्पसंख्यक आयोग है, उन आयोगों को भी ऐसे अधिकार देने चाहिए कि जिससे उनकी हालत में सुधार हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैडम, मतदान कितने बजे होगा, थोड़ा सा इशारा कर दें।

उपसभापति : मैं सोच रही थी कि पांडे जी को डिस्टर्ब न करूं। मैं इस बारे में हाऊस की अनुमति चाहती हूं। If the House so agrees we can dispense with the Lunch Hour. We have a heavy business today. So, we all agree to have no Lunch Hour today and we can have lunch any time.

SHRI M. M. JACOB (Kerala): Madam, both the Bills should be taken up together.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am doing that. The Business Advisory Committee has allotted two hours for this Bill and three hours for the other Bill. We have five hours for discussion on these. We started at 11.30. Roughly according to my calculation the voting should be at 5.30. As suggested by Mr. Jacob, we will have discussion on the Bill one after another and the voting will be at the end of the discussion at about 5.30.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: चार बजे जो होगा, उसका भी आपने हिसाब लगा लिया है?

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. Another thing which I want to say is that the Finance Minister, Prof. Madhu Dandavate, has to give a reply on a Short Duration Discussion. I would only put before the House a request: can he speak for a short while in between the two Bills?

SHRI N. K. P. SALVE: (Maharashtra): I am afraid I must protest at this juncture itself in view of what has happened. You have listed half-an-hour discussion as soon as these two Bills are voted. Prof. Dandavate is to make his great speech on the steep rise in prices thereafter. (*Interruptions*) No, Madam, yesterday I was reprimanded.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Nobody can reperimand you. You are too good a person.

SHRI N. K. P. SALVE: I was pulled up for not asserting my right at the appropriate time. Lest I should go by default today I am willing to accommodate him to any extent, though he does not accommodate anyone of us. So, I am willing to accommodate, but what I submit is that this half-an-hour discussion from our viewpoint is exceedingly important. Government has to be pilloried for what I consider the greatest act of corruption and dishonesty.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: No.

SHRI N. K. P. SALVE: You hear us.

Therefore, my submission is, whatever else may happen after these two Constitutional Amendment Bills are passed the half-an-hour discussion will be taken up. This is in accordance with the order paper and he can reply thereafter because the prices are not going to fall in the meanwhile.

PROF. MADHU DANDAVATE: I am worried that they may rise.

SHRI V. NARAYANASAMY: You are right. Then you speak at ....(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Salve, will you accommodate Prof. Madhu Dandavate for accommodating you?

SHRI N. K. P. SALVE: Madam, I am greatly embarrassed.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Yesterday he accommodated Shri Arif Mohd. Khan.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Salve is very accommodative.

SHRI N. K. P. SALVE: Madam, I can never say no to you for anything.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much for accommodating the Chair. I would request Prof. Madhu Dandavate that his speech should not be like the rise in prices. It should be very brief.

PROF. MADHU DANDAVATE: It will be inversely proportionate to the rise in prices.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I would call Mr. Satya Prakash Malaviya. मालवीय जी चाहें अपकी पार्टी का कितना भी टाईम हो कृपया समय को ध्यान में रखते हुये अपना भाषण संक्षेप में कहें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : मैं तो बहुत संक्षेप में बोलता हूं हमेशा ।

माननीय उपसभापति जी, सरकार की ओर से संविधान में जो यह 68वां संशोधन विधेयक रखा गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं । जब हमारा संविधान बना था तो संविधान में अनुच्छेद 338 रखा गया था और उसके बाद से बराबर यह मांग आती रही है कि जो विशेष अधिकारी हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिये और साथ-साथ इनके अधिकारों में वृद्धि की जानी चाहिये । आज संविधान के लागू होने के करीब-करीब 39 साल बाद राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने संविधान में जो 68वां संशोधन विधेयक रखा है जैसा कि श्रम मंत्री जी ने कहा या कल्याण मंत्री जी ने कहा कि यह न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो इच्छा थी उनकी इच्छा के अनुरूप है । सदियों-सदियों से दबे-कुचले और यदि कहा जाये कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के जो लोग थे उनकी भलाई के लिये संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है । मुझे प्रसन्नता है कि इसके उद्देश्य और कारण में इस बात की चर्चा की गयी है कि :

"It is felt that the high level five member commission under article 338 will be more effective arrangement in respect of the Constitutional safeguards for Scheduled Castes and Scheduled Tribes than a single special officer as at present."

और इसी उद्देश्य और कारणों के अनुरूप यह संशोधन विधेयक रखा गया है । लोगों के मन में एक केवल शंका है और जिसके संबंध में मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण अपने उत्तर में देंगे । मंत्री जी ने अपने भाषण में शुरू में बतलाया था कि इस आयोग में जो एक अध्यक्ष रखे जायेंगे और एक उपाध्यक्ष

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

रखे जायगे इनको मंत्री का या राज्य मंत्री का दर्जा दिया जायेगा और इसके लिये शायद उनके दिमाग में यह बात है कि भविष्य में जो नियम बनाये जायेंगे, रूल्स बनाये जायेंगे उसमें इस बात का प्रावधान किया जायेगा । लेकिन मेरा सुझाव है कि इस चीज का प्रावधान इस संशोधन विधेयक में होना चाहिये क्योंकि जब सरकार का इरादा है कि जो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे उनको हम मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा देंगे तो इस सिलसिले में इसका प्रावधान इस संशोधन विधेयक में करना चाहिये ।

दूसरे, एक और ध्यान आकर्षित करते हुये मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि इस देश में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा है । मेरे पूर्व वक्ता माननीय विश्वम्भर नाथ पांडे जो जिनको कि बहुत अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, वह इलाहाबाद नगरपालिका के चेयरमैन भी रहे हैं और वहां के मेयर भी रह चुके हैं । उन्होंने इस ओर इशारा किया । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा है वह कब और कैसे इस देश से समाप्त होगी ? यह काम वे लोग करते हैं जो मजबूरी में होते हैं । सरकार को इस सम्बन्ध में क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए । बहुत दिनों से मांग चली आ रही है कि इस सिलसिले में कोई आयोग बैठाया जाए, कोई कमेटी बैठायी जाए । बार-बार जो संसद की सलाहकार समिति है उसने भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया है लेकिन उस बात को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है इसलिए अनुसूचित जाति, जनजाति की उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए संविधान में यह संशोधन विधेयक लाया गया है । यह भी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि निकट भविष्य में इस सिलसिले में सरकार को सख्ती से और गम्भीरता से विचार करना चाहिए । कानून तो है लेकिन वे कार्यान्वित नहीं हो पाते । मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि सिर पर मैला ढोने की जो कुप्रथा है यह कैसे समाप्त हो इस सम्बन्ध में सरकार को निर्णय लेना चाहिए और उसको सख्ती से कार्यान्वित करना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ajit Jogi. Not there. Shri H. Hanumanthappa.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam Deputy Chairman, now the Welfare Minister is not here.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Two Cabinet Ministers are here.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He took my permission because there is some discussion going on on some Bill in the other House. You see, some discussion is going on in the other House on the Mahilas Bill. He took my permission saying that he will go and find out what is happening. He is coming back. Till then, I am sure, the Leader of the House or Prof. Madhu Dandavate or any other Minister, three of them will take care of your points. (*Interruptions*).

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: (Uttar Pradesh): Madam, I am ready to speak.... (*Interruptions*).

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Mr. Subramaniam Swami, I am on my legs ... (*Interruptions*) ...

SHRI AJIT P. K. JOGI (Madhya Pradesh): Madam, I was talking to the Minister in the Lobby.

THE DEPUTY CHAIRMAN: So you are the one who took the Minister. I will call you after he finishes.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam Deputy Chairman, it is not a happy occasion for a man coming from the downtrodden classes to stand up and ask for rights of privileges. It is not a happy occasion. But unfortunately, in this country, having come from that class, I have been forced to rise in this august House of Parliament... (*Interruptions*).

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: That was not your choice.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I know that. But that has become your choice to put me there. If it was my choice, I would not have been born in this community. But it is your choice to put me into that community. That is where it pains me. It pains me to rise up and ask for something for the community.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय इसलिए इस देश में जाति कुप्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए ।

श्री हेच० हनुमनतप्पा : उसके लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं । जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है वह उसके लिए जिम्मेदार हैं । लेकिन वह इसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं इसको खत्म करने की नहीं सोच रहे हैं । I will be the first man to feel happy if that is removed. But who should do it? I cannot do it. It should start from somebody else who is not willing to do it. That is the unfortunate state of affairs. Madam Deputy Chairman, the Welfare Minister has brought a Bill to amend the Constitution and in his introductory speech, he has said that we are giving something to the downtrodden classes—the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I want to say that nothing extra is being given by this Government. The statutory powers, the constitutional status, it was already there under article 338—a special officer has been appointed—multi-member Commission was also there. It was single member Commission when the Janata Government by a resolution of the Government in April 1978, formed a Commission. Subsequently, it was our Government which converted it into a multi-member Commission. Now, the statutory power vested with the Special Officer has been transferred to the Commission. Instead of either an officer or a commission, both are in existence. One is with statutory powers and the other without statutory powers. You have removed the Officer and given the statutory powers to the Commission. Coming to the purpose, Article 338 says:

> "There shall be a Special Officer for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to be appointed by the President."

and

> "It shall be the duty of the Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes...".

[**The Vice Chairman (Prof. Chandresh P. Thakur)** in the Chair.]

Sir, what are the safeguards provided? Safeguards are provided under Articles 15, 16, 17, 19, 23 and 29 of the Constitution. Article 15 says that the State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Article 16 speaks of equality of opportunity in matters of public employment. It says that there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State. It also says that no citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, descent place of birth, residence or any of them, be ineligible for, or discriminated against in respect of any employment or office under the State. Article 17 states that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. Article 23 is to the effect that traffic in human beings and *begar* and other similar forms of forced labour are prohibited. And Article 29 says that no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them. These are the Constitutional safeguards provided to the weaker sections by the founding-fathers of the Constitution. Sir, the present Constitutional Amendment brought by the

[Shri H. Hanumanthappa]

Welfare Minister has nothing new. It does not give any extra power. Then what necessitated him to come with this Amendment? Article 338 is very clear that the Special Officer will investigate and report. Instead of one man if five members are investigating and reporting, that shows the increase in the volume of work. Instead of one man if five members are investigating and reporting that shows the increase in the volume of work. Instead of one man, five people are entrusted with that. What extra power has the Janata Dal or the National Front Government given? It shall be the duty of Special Officer to investigate all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this Constitution and report to the President upon the working of those safeguards at such intervals as the President may direct, and the President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament. This is the provision under the Constitution. With this Amendment, what extra provision are you making? Clause 5 (a) states:

> "to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this Constitution or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards."

Sub-clause (b) says:

> "to enquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the ...."

You have said in sub-clause (bb) "to participate and advise on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to evaluate the progress of thier development...." and in sub-clause (c) you say "to present to the President, annually and at such other times as the Commission may deem fit reports upon the working those safeguards.' So except for addition of one or two phrases, two or three paragraphs, there is nothing extra. The provisions are already there in the Constitution.

उन्होंने हिन्दी में कहा है कि दांत दिये गये हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि दांत कहां हैं, इसमें तो जो था वही है ।

Sir, if it is only a reporting commission, there is no dearth of reports. There are 27 reports of the Commissioner ... 110 reports of the Parliamentary Committee, 100 reports of the action taken of the Parliamentary Committee, 102 reports—all these reports are eating dust in the cupboard of Government of India, Central Government. If the Government was really interested in implementing thme, they should have just opened their cupboards and taken out these reports. Maybe you can go on saying these things on the floor of the House, but you are answerabe to the people. People are watching whether you are doing better or not. If you are doing the same thing, why should be there and we be here? You have claimed that you are going to do better. Then why are you not doing better? You are doing what we were doing. Then what special quality you have to go and sit there....(*Interruptions*).. Don't prick me like this. You are a partner there. Speak responsibility. ...(*Interruptions*)...

AN. HON. MEMBER: He is only a sleeping partner ...(*Interruptions*).

SHRI H. HANUMANTHAPPA: It is unfortunate that you are not growing, you still continue to be a baby. What can I do? You cannot understand all these things.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Please continue on this. You do a good job and then he will listen to you.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, I was telling that there were already a number of reports and the Government could have done well, if they could have opened their cupboards and taken them out; they could have taken action on them. What those reports contain, let us go back to it. What do these reports contain? There was a constitutional safeguard. A

reservation in promotion was ordered by the Government of India in 1971-72. That was not given to the Scheduled Castes for eight years up to 1978. Some banks wrote to the Department of Banking in the Finance Ministry asking for certain clarifications and that letter sleeps for eight years under Finance Ministry. It resulted in denying the promotion to Scheduled Caste and Scheduled Tribe people for eight years; thousands of Scheduled Caste and Scheduled Tribe people could not get promotion. What is the action you are taking against the person or persons concerned for keeping that file for eight years without utilising it? Where is that "dant"—what the Minister has said. Where are the teeth which will bite him now? Please show me in the law where that bite is. The officer during his visit to a local branch was introduced to the officers of that branch, He want on shaking hands with the officers and when the turn of a Scheduled Caste person came, he withdrew his hands Is he not practising untouchability which is prohibited by the Constitution? Is he not violating the Presidential Order? He had violated the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. What is the action taken by the Government? If it is not taken what is the "dant" you have given to bite him now? It is there in the report; please open it. Will you at least bite him know under this law? There are no teeth to bite that man. Sir, as late as 1987, in a bank, a nationalised bank which is a part of the Government, a washbasin fixed in the building was not allowed to be used by a Scheduled Caste person. Is it not practical untouchability? And a Scheduled Caste person suffers hundred and fifty transfers within a period of five years, just because he is a Scheduled Caste person. There are thousands of people urging for employment and there are the departments whose heads are writing down that candidates are not available. Even for the Sweeper's posts, they say that candidates are not available and their own relatives are appointed as Sweepers getting a thousand rupees as salary, but not doing sweeping. They appoint another **bhangi** and that is done by him. And he draws his salary as a sweeper, a salary of a thousand rupees or so, but employs another *bhangi* to do the actual sweeping work! These things are all there in the reports. I am only stating these things from the reports:

The Government has categorised the employees as A, B, C, and D Grades and the promotion is from the lowest rung. Now, certain public sector undertakings have removed Grade B and have not allowed the Scheduled Caste people to come even up to the B Grade and then say that since they are in B Grade, they cannot come up to Grade A. They have three Grades, A, C and D; there is no B Grade at all! It is there in the report. Nobody takes action.

Certain relaxations were given to the Schedule Caste people and these have been withdrawn some four years before. Time and again we have represented before the, Government to withdraw that circular. But no Government has moved in the matter, whether that Government or this Government. In the moved in the matter, whethr that Government or this Government. In the selection process, in promotional matters, it is mandatory that a man belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe should be associated with it. This is violated day in and day out, and they have not been associated. But an officer produces a false certificate, goes up to the top. He has been indicated by the High Court and also by the Parliamentary Committee. But no action is taken So, Iam asking the Minister, "Where are the teeth to bite these officers ?". There are no teeth. He has said that they are there in the Constitutional Amendment. It has been said that it will have the powers of a Civil Court. Not even the powers of a Criminal Court ! It is not even a summary trial; it is not even a warrant case; it is only a Civil Court process ! It

[Shri H. Hanumanthappa]

means that it is only to call him. You issue the summon and he may refuse. Then you will send it by registered post, he will refuse and he may not be present also. Then you will send it by tom-tomming, by drum-beating, and he will ask for adjournments and later he will appear through an advocate and the proceedings will go on. Many of these officers who are responsible have done all these things a number of times. So, by the time the civil proceedings come to a close, he would have retired. Then there will be a memo from the administration that the man has retired and so, they cannot take any action and the file is closed. So, this is what you are doing to the Commission under this amendment.

I am glad that in his introductory remarks he has said that the status of a Minister or a Minister of State will be given to the Chairman. If that is the intention of the Minister, then let him incorporate it in the Bill itself. Earlier, what happened? The Commissioner's post was held by both officials and non-officials.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Status means what? Power or privilege or what?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: It attracts both, power and privilege. Earlier, Sir, this post was held both by officials and non-officials. But, subsequently, it has been gradually reduced and it became a paradise for retired officials. When one is not wanted here, one can be sent over there. So, I would say that we should fix some qualifications. First of all, he should have faith in this. He should have the qualification of having worked amongst these classes. He must know their problems. My leader and senior colleague. Pandeyji, said that he lived with them, worked among them, and so, he knows their problems. So, there should be a qualification for appointment to this Commission to the effect that one should have the background of having woeked and served with them or, at least, wellversed in the provisions and safeguards and also in their problems. There is one more thing. He should be prohibited, he should be barred, form accepting subsequent appointments. When once a peron serves as a Member or Vice-Chairman or Chairman, that should be the end of it. If he is allowed to go elsewhere and get appointments, then he will not be doing justice to the cause. So, once a person comes to the Commission, that should be his last assignment, whether he is an official or a non-official. And thereafter he should not expect and the Government should not even entertain ideas of giving him any position of director or member or chairman on any commission. And this Bill is silent about the term of office, whether it is two years or three years or five years or six months. The term of office should be specified. In the Bill on page clause 2(5) (bb) says:

> "To participate and advise on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State."

Now there are already two mechanisms; one is the special component plan and the other is the tribals' subplan wherein it is mandatory for all departments to allocate 18 per cent or 7½ per cent of the total budget of the individual departments and that should be spent for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It may be surprising to you that right under the Government of India, in the Central Ministries; down to the village panchayats, these provisions are followed more in violation. In municipalities and panchayats they allocate 18 per cent because otherwise their budgets will not be approved, but they do not spend the amounts and finally at the fag end of the year they appropriate and

reappropriate that money. What action are you goig to take against such violations? Nothing is done...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Kindly keep to the time. There are far too many speakers from your party. You are the principal speaker, I realise. But think of your colleagues.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I shall try to be brief. I shall have another chance while moving my amendments.

In sub-clause (8) it is said: "The Commission shall, while investigating any matter referred to in sub-clause (a) ... —this is very confusing. Sub-clause (5) (a) says:

> "To investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this Consititution or any other law for the time being in force or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards."

The question is: Who will refer? In sub-clause (8) the Bill is silent as to who will refer. Sub-clause (8) says, "..any matter referred to"; 'referred to' by whom? Who should refer the matter. In the absence of that the whole of sub-clause (8) will become ineffective. You have not identified the authority who will refer the matter. *Suo motu* the Commission has power to investigate a matter And sub-clause (8) says "referred to in sub-clause (a) or (b)." Sub-clause (b) is okay because it is a specific complaint. If anybody complaints they can initiate action. But it is silent on who will or or who should refer in sub-clause (a),

Having said this, I say that the present Government and our Welfare Minister is well-versed with all these problems. He knows what all I have spoken. It is in his knowledge Perhaps he also knows that the present amendment will not give any teeth to bite the delinquents, the persons who violate it, the persons who willfully neglect it. So I have moved two amendments to give some teeth to the amendment of this Act...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Sharp teeth or just teeth?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Once provided the teeth can become both vegetarian and non-vegetarian.

AN HON. MEMBER: It can be a have proposed only to recomend for

THE VICE-CHAIRMAN (PRFO. CHANDRESH P. THAKUR): Denture means flexible You can take it off. . (*Interruptions*) ...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I have proposed only to recommend for taking suitable disciplinary action against the official or officer or person who was found guilty of violation of the Presidential directive and wilful neglectoracted against the safeguards provided for protection and welfare, social and economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes After examining or investing, instead of just giving a report, let the Commission recommend suitable disciplinary action by the appointing authority. I know there is a separate authority for taking disciplinary action, Let it recommend about the wilful negligence or violation of the directive that disciplinary acton should be taken.

Where any such recommendaton for disciplinary action—this is my second amendment—relates to Central Government/State Governments, public undertakings, cooperative or other institutions or administrations, such authority should proceed with taking action and report back to the Commssion the compliance.

[Shri H. Hanumanthappa]

I hope the Minister who knows very well—may be he could not on his own bring this amendment; he has a company and he has to follow the company also, he has to serve the masters that he is sitting with and so he might have felt it difficult or embarrassed to bring this and I am helping him by way of this amendment—will accept the amendments which will really give some teeth to the law that he has brought.

Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Mr. Kunjachen. You have nine minutes.

SHRI P. K. KUNJACHEN (Kerala): Sir, I support this Bill.

Under the Constitution there are certain provisions for the protection of the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. My friend, Mr. Hanumanthappa, has mentioned clauses in the Constitution. So I do not want to repeat the clauses in order to save time. But as per the clauses what has been done in the previous period, officers have been appointed and the Scheduled Castes Commissioner also was appointed. And the Commissioner has submitted 28 reports so far. If we go through these reports, we can see generally that such and such thing has not been implemented. Every year when the report comes, it will be repeated from the earlier report—first report, second report, third report, etc. It goes on like that. Many of the recommendations go without implementation. In these reports the basic issue has also been mentioned.

Many atrocities on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes occur. Why ? Because of the land problem, the problem of wages to agricultural workers, and so on. All these have been mentioned in these reports. But the land question remains where it started. From 1973 onwards some land legislations have been made but they are remaining as they are Land is not taken over and distributed to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Even if you appoint a Commission, unless and until the land is distributed in the countryside to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the condition of these people is not going to change. So, you will have to concentrate on he basic issue. Similarly, there is the question of minimum wages. All agricultural workers belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are interested in that. There is no guarantee of implementing the mminimum wage. It is a day-to-day affair. Then what is the use of it? Now, the Commission being appointed is a good thing. But the Commission must have the power. The Parliamentary Committees are there functioning even now. How many reports have been submitted to the Lok Sabha and the Rajya Sabha? Many of the reports have not been implemented. Similarly, some Commissions have been appointed. They also submitted their reports. But they remain unimplemented. Sir, when I was a Member of the Parliamentary Committee on the SCs and STs, in 1974, we took up this issue of reservation in banks. At that time, we went to Bombay. There was no reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the banks even in 1974. Fortunately, later on, this reservation provision has been implemented. So, in many Departments, this reservation is one of the major factors. In many Departments and public undertakings, this reservation is not being implemented even now. Whenever the Committee or the Commissions goes and enquiries and finds out that there is no reservation, then some answer will be given that later on it will be implemented. How can it be answered that from 1951 to 1990, if an undertaking or a Department remains without implementing the reservation provision? So, that is the condition. And the Minorities have a right here. Under article 30 of the Constitution, Minorities are also running certain institutions, especially educational institutions. In Kerala, so many private

educational institutions are run by the Minorities. All the fees are collected by them and the salary to the teachers is given by the State Government and the maintenance grants are also given by the State Government. But the appointment is done by the management. Not one or two but thousands of appointments are made in schools and colleges, but there is no reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So, if an institution is completely functioning with the Government aid and Government money either from the Centre or from the States and wherever the institutions are running or the undertakings are functioning with Government money, there the reservation must be implemented because it is Government money and not private money. So, all these things have to be examined. The Commission must have a right. After conducting an enquiry, if a report is presented by the Commission to the President... the President accepts the report. The point is, it must then be automatically implemented by the Central and the State Governments. Of course, it has to be placed before Parliament and Parliament's approval is needed. I accept that. It is needed. But without giving ample powers to the Commission, if the Commission is appointed, it is not going to serve any purpose.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Yes.

SHRI P. K. KUNJACHEN: In earlier periods also, we have seen this. Therefore, the hon. Minister and the Government must consider this point, of giving ample powers to the Commission. Then, how are you going to treat the reports of the Commission? What is the guarantee for its implementation? Will it be implemented, or, it will just gather dust in the various departments? This should not happen. The Commission conducts an enquiry and submits a report. There should be a guarantee for its implementation. Necessary staff and other things should be provided to the Commission. Otherwise, it will remain only as a propaganda measure. If you want to see that things are done properly, the Commission must be given ample powers as well as the necessary machinery to do its work.

Thank you.

श्री अजीत जोगी : उपसभाध्यक्ष महोदय, संविधान का यह जो 68वां संशोधन सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह मेरी आशा के अनुरूप अत्यन्त ही निराशाजनक है । मैं अपनी बात बड़े भारी मन से कह रहा हूं क्योंकि बहुत ढिंढोरा पीटा गया बहुत हल्ला किया गया समाचार-पत्रों में और . . . (व्यवधान) . . .

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : यह शब्द आशा के अनुकूल नहीं, आशा के प्रतिकूल हो तो जाकर बढ़ ठीक होगा ।

श्री हेच० हनुमंतप्पा : हम पंडित नहीं हैं, हम आदिवासी हैं । हम कहां से लाएं ऐसे शब्द ?

श्री अजीत जोगी : मैंने जो शब्द चुना, जान-बूझकर चुना है क्योंकि मेरी आशा यही थी कि यह सरकार ऐसा ही अधिनियम बनाकर प्रस्तुत करेगी । इसीलिए मैंने कहा कि मेरी आशा के अनुकूल यह संशोधन अत्यंत ही निराशाजनक है । ढिंढोरा बहुत पीटा गया है । टेलिविजन पर कहा गया, समाचार-पत्रों में कहा गया। जब से माननीय पासवान जी मंत्री महोदय बने हैं, तब से एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण बनाया गया है जैसे कि आदिवासियों को और अनुसूचित जातियों के लोगों को कोई बहुत बड़ी वस्तु, बहुत बड़ी उपलब्धि इस संशोधन के माध्यम से दी जाने वाली है, किन्तु जब हम इस संशोधन को पढ़ते हैं, जब इस संशोधन का अध्ययन करते हैं तो यही सामने दिखता कि "खोदा पहाड़ और निकली चूहिया"। आखिर यह इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा धोखा राष्ट्र की इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ, 20 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ

[श्री अजीत जोगी]

क्यों किया जा रहा है ? उनको यह क्यों कहा जा रहा है कि हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि वास्तव में कुछ भी नहीं किया जा रहा है ।

मैं यह कहना चाहूंगा कि संविधान का अनुच्छेद 338 अपने आप कोई अधिकार नहीं देता है । अधिकार तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने, अम्बेडकर स्मृति ने, भारत के संविधान ने अन्य बहुत अनुच्छेदों में दिए हैं । अनुच्छेद 15 है, 16 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। ये सारे मौलिक अधिकारों से संबंधित अधिकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को दिए गए हैं । अध्याय 4 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अनुच्छेद 46 के द्वारा भविष्य में शासन का क्या करना चाहिए, शासन का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से इन वर्गों के लिए किस तरह की नीति, किस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए, इसका उल्लेख है ? इसके बाद अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान और अंत में अध्याय 16 के अनुच्छेद 330, 332, 334, 335, 339, 341, 342, इन सब में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार दिए गए हैं । यह अनुच्छेद 338 तो मात्र एक एजेंसी क्रिएट करता है । एक माध्यम बनाया है जिससे यह जो सारे अधिकार दिए गए हैं, वे सारे के सारे अधिकार इन वर्गों को मिलते रहें, यह सुनिश्चित किया जा सके । यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उसके माध्यम से जो पूर्व में अनुच्छेद 338 में था और जो आज अनुच्छेद 338 बनाया जा रहा है, उससे कोई विशेष परिवर्तन, कोई मौलिक परिवर्तन, कोई मूलभूत परिवर्तन बिल्कुल नहीं हो रहा है । मैं तो कहूंगा कि केवल व्यक्ति का परिवर्तन हो रहा है । पहले कमिश्नर आफ शैड्यूल कास्टस एंड शैड्यूल ट्राइब्स आर्टिकल 338 के तहत इस कार्य को देखते थे, डा० बी०डी०शर्मा देख रहे थे, उनकी जगह आप रामधन जी को और दूसरे लोगों को बिठा देंगे । अधिकार तो आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं, उनको आप कोई ऐसी सुविधा नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसा साधन नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसी सहूलियत नहीं दे रहे हैं, कोई ऐसी पावर नहीं दे रहे हैं जिससे अनुच्छेद 338 में कोई मौलिक परिवर्तन हो । कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात से असहमत नहीं होगा, विशेषकर ऐसा व्यक्ति जो इन वर्गों से आता है । महोदय, मैं भी उनमें शामिल हूं और इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हमारी आशा के अनुरूप यह बहुत ही निराशाजनक संशोधन इस सरकार ने प्रस्तुत किया है ।

महोदय, आप अभी मेरी घंटी बजा रहे हैं ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : इसलिए कि काफी लोगों का नाम है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और समय बहुत कम है ।

श्री अजीत जोगी : महोदय, मैं यह बात सदन को बताना चाहूंगा कि इस संशोधन के माध्यम से हमको क्या हासिल होने वाला है । पहले जो एस०सी०/एस० टी० कमिश्नर्स की रिपोर्टस आती थी, सदन के पटल पर रखी जाती थी ।

श्री राम विलास पासवान : जोगी जी, जो संशोधन हमने पेश किया है उसमें कुछ नहीं है । मैं चाहूंगा कि जो भी माननीय सदस्य इस विषय पर बोलें वे हमें बताएं कि इसमें क्या लाया जाए।

श्री अजीत जोगी : मैं वही बोलूंगा कि इस संशोधन से क्या हासिल होने वाला है । इससे यह हासिल होने वाला है कि अभी तक विधानसभा के पटल पर ये रिपोर्टें नहीं रखी जाती थीं, अब रख दी जाएंगी । इससे यह हासिल होने वाला है कि एक व्यक्ति इस काम को कर रहा था, उसकी जगह 5-7-10 व्यक्ति वह काम करेंगे । इस संशोधन के माध्यम से यह होने जा रहा है कि हमारे वर्ग के एक अच्छे व्यक्ति को, मैं कह रहा हूं कि रामधन जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको आप मंत्री का दर्जा दे देंगे । इसके अलावा

इस देश के बीस करोड़ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होने जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि आज तक कमीशन की 38 रिपोर्टें आ चुकी हैं। उनमें अनेक सुझाव आए हैं। इसके अलावा हमारी संसद की एक अनुसूचित जाति-जनजाति की कमेटी भी है, उसकी भी कितनी ही रिपोर्टें आ चुकी हैं लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वही हश्र इस कमीशन की रिपोर्टों का भी होने वाला है क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वह जो सुझाव देगा, वह जो अनुशंसा करेगा वह शासन पर, केन्द्रीय शासन पर बंधन होगी, मान्य होगी।

महोदय, यह देश की बहुसंख्यक जनसंख्या, गरीब, शोषित और पीड़ित जनसंख्या का प्रश्न है करोड़ों लोगों का प्रश्न है ऐसे 41 लाख लोगों का प्रश्न है जो आज बीसवीं सदी के अंत में भी अपने सिर पर मैला ढो रहे हैं। यह बस्तर के ऐसे आदिवासी भाइयों का प्रश्न है जिनमें 40-43 साल की आजादी के बाद भी शिक्षा का स्तर 5 प्रतिशत से अधिक नहीं पहुंच सका है अर्थात उनमें 100 में से केवल 5 लोग ही शिक्षित हैं। यदि उनके 100 के 100 लोगों को शिक्षित करना है तो साधारण अंकगणित कहता है कि यदि 40 साल में 5 लोगों को शिक्षित किया गया तो 100 लोगों को शिक्षित करने में आपको 800 वर्ष और लगेंगे।

महोदय, यह उन लोगो का प्रश्न है जिनके बारे में आरक्षण का बहुत ढिंढोरा पीटा जाता रहा है और आरक्षण के खिलाफ आंदोलन भी चलाया जाता है पर यह नहीं देखा जाता कि आज भी क्लास बने यानी ग्रेड 'ए' में 6 प्रतिशत से ज्यादा लोग उन वर्गों के नहीं हैं। मैं कुछ दिन पहले बस्तर गया था। पहली बारिश के बाद बस्तर के गांवों में हजारों लोग पेचिश जैसी साधारण बीमारी के कारण मर गए हैं।

पेचिस जैसी साधारण बीमारी 1.00 P.M. के कारण बस्तर के हजारों लोग मर गये। वहां डाक्टर नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नही है। मैं यह नहीं कहता कि यह आज ही हुआ है, पहले भी होता था और अब भी हो रहा है। यह ऐसे लोगों का प्रश्न है जो आज भी बस्तर के अबूजमाड़ में निर्वस्त्र घूमते हैं। यह ऐसे लोगों का प्रश्न है--मैं ने खुद अपने परिवार व समाज में देखा है कि आज भी पीने का पानी भरने के लिए चार किलोमीटर, पांच किलोमीटर दूर हमारी मातायें, बहनें हमारी बच्चियां जाती हैं। यह ऐसे लोगों का प्रश्न है जिनके ऊपर जो एट्रोसिटीज होती है, अत्याचार होते हैं प्रति वर्ष औसतन स्वत: आपकी रिपोर्ट कहती है कि सवा लाख अत्याचार के ऐसे प्रकरण होते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार के यह औसत आंकड़े वे हैं जो आपकी रिपोर्ट में हैं। उससे कहीं ज्यादा ऐसे अत्याचार के प्रकरण होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। यह ऐसे लोगों का प्रश्न है जिनके लिये जब हम विकास की बात करते हैं तो उसके साथ ही साथ उनका विनाश करते जाते हैं। आप बहुत बड़ा बांध बनाते हैं, आप नर्मदा पर नर्मदा सागर बनायेंगे, सरदार सरोवर बनायेंगे, आप ने रिहंद बांध बनाया, आप बहुत बड़े-बड़े बांध बनायेंगे, हीरा कुंड बांध बनाया, और बांध बनेंगे, सामान्य लोगों को फायदा होगा। पर डूबेगा कौन? आदिवासी डूबेंगे, पहाड़ों पर रहने वाले, जंगलों में रहने वाले वह आदिवासी डूबते हैं। तीन लाख लोग आप नर्मदा सागर और सरदार सरोवर में डुबोने वाले हैं। आप यह कह रहे हैं कि हम उनका पुनर्वास करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने प्रशासन में बहुत लंबी अवधि व्यतीत की है। इस देश को ऊपर से लेकर नीचे तक जगह-जगह देखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी जगह ऐसी बताएं जहां आपने बड़ा बांध बनाया, आदिवासियों को डुबोया और उसमें से एक भी परिवार को उसी रूप में पुनर्वासित किया है, जैसा वह पहले था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा। रिहंद बांध बना था 50 के दशक में। उसके करीब 20-25

[श्री अजीत जोगी]

साल बाद उस जिले में मैं कलैक्टर होकर गया था और जब मैं उस क्षेत्र में गया जहां के लोग डूब में आए थे तो उनके पास केवल वे फटे हुये कागज थे जो वे हाथों में लेकर मेरे पास आते थे यह कहते हुये कि 25 साल पहले हमको यह कागज में दिया गया था कि उस कागज में लिखा था कि आपको इसके बदले जमीन दी जायेगी। उस कागज में लिखा था कि आपको इसके बदले पैसा दिया जायेगा। उस कागज में यह लिखा था कि आपको इसके बदले नौकरी दी जायेगी। 25 साल के बाद भी उसके पास न तो नौकरी थी, न तो जमीन थी, न तो पैसा था जो कुछ था वह फटा हुआ कागज था। जो आज की व्यवस्था है, उसके कागज हैं सब कुछ हैं, जो कागज में कुछ लिख दिया, पटवारी ने कुछ लिख दिया तो वह कानून बन गया, अधिकार बन गया। पर यदि आदिवासी या हरिजन कुछ कहता है तो वह न कानून है, न अधिकार है। हम ऐसी व्यवस्था में जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि कानून की कमी है, या संविधान में प्रावधानों की कमी है। कानून तो बहुत हैं संविधान के अनुच्छेद मैंने एक-एक आपको पढ़कर बताये। विस्तार से, इसलिये उल्लेख नहीं किया क्योंकि समय की कमी है। हमारे इतने अधिकार, हमारे संविधान के निर्माताओं ने, विशेषकर बाबा साहब ने, हमको दिये हैं कि उन अधिकारों की यदि हमें उनको सही प्राप्ति हो जाये तो और कुछ आवश्यकता नहीं होगी। कमी है तो केवल नीयत की। न कानून की कमी है, न नियम की कमी है। नीयत की कमी है। किसी की नीयत सही नहीं है। मैं आपसे यह बात करता हूं तो दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर कहता हूं। मैं यहां नहीं कहता कि जो लोग इधर बैठे हैं उन सबकी नीयत सही है और जो लोग उधर बैठे हैं उन सबकी नीयत खराब है। हर तरह के लोग हर तरफ हैं पर जरूर यह बात है कि ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनकी नीयत इस वर्ग को उठाने की नहीं। इसलिये यदि आपकी नीयत है, यदि आप वास्तव में इस वर्ग को कुछ देना चाहते हैं तो इस संशोधन में यह जरूर प्रावधान रखिये कि इस कमीशन की जो भी सिफारिश होगी वह केन्द्र सरकार को, वह राज्य सरकार को, वह यूनियन टेरीटोरी को, वह सरकार के हर अधिकारों को बंधनकारक होगी। उनको माननाही पड़ेगा। यदि आप ऐसा प्रावधान नहीं रखते हैं तो इस तरह का कानून बनाने से, इस तरह का संशोधन करने से फिर आप एक बहुत बड़ा फरेब, धोखा और बहुत बड़ी जालसाजी इन वर्गों के साथ कर रहे हैं।

मैं विकास और विनाश की बात कर रहा था तो मैं यह उल्लेख भी करना चाहूंगा कि जैसे-जैसे प्रगति होती गयी उन्नति होती गयी हमने इन वर्गों को कुछ नहीं दिया है, बल्कि उनसे लेते गये हैं। जब समाज कृषि प्रधान था तब तक तो विकास के लिये जो कुछ भी संसाधन चाहिये था वह मैदानी इलाकों में मिल जाता था, पर जैसे-जैसे समाज आधुनिक होता गया, औद्योगिक प्रधान होता गया वैसे-वैसे यह संसाधन मैदानी इलाकों में खत्म होते गये।

आज विकास के लिए जो भी आप कहते हैं, जैसे विकास के लिए बांध बनाना है, तो आदिवासी इलाकों को डुबाकर बनायेंगे, विकास के लिए कारखाने बनाने हैं तो वह उनके जंगलों को काट कर बनायेंगे, विकास के लिए बिजली पैदा करने के लिए बांध बनायेंगे तो वह बांध भी आदिवासी इलाकों के संसाधनों के उपयोग से बनेगा। विकास के लिए अगर आप कारखाने लगाएंगे तो उसके लिए खनिज पदार्थ दुर्भाग्य से वहीं मिलेगा जहां आदिवासी रहते हैं। आप जब विकास करते हैं तो आप उससे कुछ छीनते हैं। उससे कुछ ले लेते हैं, उसको कुछ देते नहीं। उससे जब आप छीनते हैं तो उसके बदले में कुछ देना चाहिए। इसलिए मैं मौलिक बात कहना चाहूंगा कि जब उससे कुछ लिया जाता है तो उसको उसके बदले कुछ दिया भी जाना चाहिए। उसका जो जीने का अधिकार है, जब आप जंगल डुबो देते हैं, आदिवासी गांव डुबो देते हैं कारखाना बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए तो आप उससे छीनते हैं। इसके बदले आप को उसको

जीने का अधिकार देना चाहिए । ऐसा क्यों नहीं होता है? जब आपका कारखाना बनता है, जब आपकी फैक्टरी बनती है तो उसके संसाधनों से बनती है, उसकी जमीन से जो खनिज निकलते हैं उससे बनती है तो उस कारखाने के मालिक के रूप में उसको भी कुछ पार्टनरशिप दे सके, उसमें कुछ हिस्सा दे सके, ऐसा क्यों नहीं करते? जब तक इस तरह का मौलिक चिंतन नहीं होगा तब तक कुछ सुधरेगा नहीं। यह संशोधन कर लेने से कुछ होगा नहीं। दुख की बात यह है जब थोड़ा बहुत प्रयास होता है कि उसमें से उसे कुछ दे दिया जाए, जो उसके अधिकार हैं, वे उसको दिए जाएं तो उसमें भी रोक लगाने की कोशिश होती है, सब तरफ से होती है। मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा खुद का अनुभव है। आदिवासियों के लिए लघु वन उपज एक बहुत बड़ा साधन है। दूसरे लोगों को भगवान ने बहुत सी चीजें दी हैं। जैसे किसान के लिए जमीन दी हुई है, उद्योग-पतियों के लिए उद्योग दिये हुये हैं उसी तरह, आदिवासियों को वन उपज अधिकार के रूप में मिला है। अंग्रेज के जमाने से पहले हमारे जो पूर्वज जंगलों में रहते थे उनका बिना किसी अड़चन के जंगल में पूरा अधिकार था। जंगलों में जो कुछ होता था वह उन्हीं का होता था। लेकिन अंग्रेजों के समय और स्वतंत्रता के बाद जब हमारा खुद का शासन आया तब से जो कुछ भी जंगल का था वह उससे लेकर हमने उसको उसका मजदूर बना दिया। पिछले दिनों जब मैं मध्य प्रदेश में लघु वन उपज कमेटी का अध्यक्ष था तो मैंने इसके लिए एक प्रयास किया था। मैंने फैसला किया था कि जो लघु वन उपज हैं जो जंगल में केवल पत्तियां, फल-फूल, बीज हैं उन पर कम से कम उनका अधिकार वापस दे दिया जाए। जंगलों में एक पत्ती होती है तेंदु की पत्ती। हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि वहां की महिलाएं जो तेंदु की पत्ती तोड़ती हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें इस जेष्ठ की गर्मी में, इस मई और जून की गर्मी में जंगलों में दिन भर भटकती है, पसीना बहाती है खून सुखाती हैं और पत्तियां तोड़ती हैं तो हमने यह व्यवस्था की, यह नियम बनाया कि अब इस व्यापार से जो लाभ होगा वह उन्हीं को मिलना चाहिए। अध्यक्ष के नाते हमने उन्हें संगठित कर उनकी कोआपरेटिव संस्था बनाकर यह अधिकार उन्हें दिया। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पहले ही वर्ष हम को 275 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ जो हमने आदिवासियों के परिवार को बांटने का फैसला किया जो वास्तविक मेहनत करता है। हम यह कहते हैं कि अगर सभी लघु वन उपजें जो मध्य प्रदेश में लगभग 13-14 हैं उन्हें एकत्र करने के लिए जो साल भर उनकी मेहनत होती है अगर उसका पूरा अधिकार उनको दे दिया जाए तो उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। जब केवल तेंदु के पत्ते से 275 करोड़ का मुनाफा हो सकता है तो दूसरी वन उपजों से और न जाने क्या-क्या मिल सकता है। जब हम यह कर रहे थे तो हमारे कुछ साथी भी इसके विरुद्ध थे। अब शासन बदल गया है और यह अधिकार भी उनसे वापस ले लिया गया। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि इसमें अब नियम और कानून की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो नीयत की। इसलिए यह कहना चाहूंगा उपसंहार के रूप में कि यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है इस संशोधन में कमीशन को ऐसे अधिकार देने की जरूरत है... जिससे कमीशन जो भी सिफारिश करे, कमीशन जो भी अनुसंशा करें, वह सरकारी अधिकारियों पर और सरकार पर बन्धनकारक हो। इसीलिये मैंने दो संशोधन मूव किये हैं जो थे पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अनुसंशा के बारे में यह कहा है--

"and such recommendations shall be binding on the concerning Union/State Governments or Union Territory inasmuch as the recommendations are not repugnant to the spirit and provisions of the Constitution and therefore the Government concerned shall be bound to implement it."

[श्री अजीत जोगी]

इसी तरह से मैं यह भी चाहूंगा कि एक और संशोधन जिसमें कमीशन को यह अधिकार दिया जाय---

"to instruct and direct any officer or employee of the Union or State Governments or Union Territory to make a detailed enquiry including spot inspection, on behalf of the commission and thereafter to submit a report to the commission within a stipulated time frame and such instruction to the officer/employee shall be binding on him."

यदि ये दो अधिकार इस कमीशन को नहीं दिये जाएंगे तो यह जो संशोधन बहुत अच्छी भावना लेकर प्रस्तुत हुआ होगा, किन्तु उस भावना की पूर्ति नहीं होगी । इन अधिकारों को कमीशन को देना ही होगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । यह बात बहुत जगह उठी है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों दोनों की समस्याओं के विषय में यह जरूर समझा जाय कि दोनों की समस्याओं में मौलिक रूप से बहुत बड़ा अन्तर है । जन जातियों की समस्यायें अलग तरह की हैं और अनुसूचित जातियों की समस्यायें बिलकुल अलग तरीके की हैं । एक समय था जब चूंकि दोनों समाज के सबसे अधिक पिछड़े हुए और सबसे ज्यादा शोषित थे, इसलिए दोनों को साथ लेकर उनके बारे में विचार हो सकता था। लेकिन अब समय आ गया है कि इन दोनों वर्गों को अलग अलग रखकर विचार करें । इसलिए जो कमीशन बन रहा है, बहुत अच्छा होता कि अनुसूचित जातियों के अलग से और अनुसूचित जन जातियों के लिये अलग से कमीशन बनता । मैं यह भी कहना चाहूंगा और उस बात को श्रीराम अवधेश सिंह जी ने भी कहा है कि अनुच्छेद 338 के सब सेक्शन 3 में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए भी उल्लेख है । यह संशोधन करते समय हम उन्हें भूल गये, यह उचित नहीं है । यह जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी इसी तरह का सर्वाधिकार सम्पन्न कमीशन बनना चाहिए । मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप के समक्ष है । उसके बारे में आपके दल में बहुत विरोधाभास है, ऐसा समाचार पत्रों में पढ़ा है । किन्तु संविधान निर्माताओं ने इस अनुच्चेद में ही उनका उल्लेख किया है । इसलिए उनके विषय में भी सोचिये । उनके विषय में अलग से विचार किया जाय और एक पृथक् कमीशन बनाइये ।

चूंकि मैं कानून से संबंधित रहा हूं इसलिए एक बात कहना चाहता हूं । यह जो ड्राफ्ट हमारे सामने आया है । इसमें कहीं कहीं बैड ड्राफ्टिंग दिखता है । मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा । मुख्य रूप से जो क्लाज (2) है उसमें शुरू किया है --

"Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Commission shall consist of....."

ये जो शुरू के शब्द हैं--

"Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament."

ये बिलकुल भी आवश्यक नहीं हैं, यहां नहीं रहने चाहिये । इसी तरह

"It shall be the duty of the Commission—(a) to investigate..."

जब मानिटरिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो इंवेस्टिगेशन शब्द न हो तो अच्छा होगा । इन शब्दों के साथ मैं यहीं कहना चाहूंगा कि बार बार मैंने यह बात कही है कि कानून की कमी नहीं है, संशोधनों की कमी नहीं है, नियमों की कमी नहीं है, नियत की कमी है और नियत तभी आएगी जब आप--

फूलों की टहनियों पर निशेमन बनाइये,
बिजली भी गिरे तो जश्ने-चिराग़ां मनाइये,
अनुसुचित जाति जन जाति की रगों में
मीठा मीठा दर्द है,
उनकी बीमार नहक़दों को जरा गुदगुदाइये

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): श्री संघ प्रिय गौतम। आपसे मेरा अनुरोध है कि अन्य सदस्यों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए जरा कम समय लें तो अच्छा हो।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : मैं इनसे आधा समय लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर): आप उनसे प्रतियोगिता न करें।

श्री संघ प्रिय गौतम : मान्यवर उपसभाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष ऐतिहासिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, कला की दृष्टि से संसार के अग्रणीय देशों में से रहा है। कहा जाता है कि किसी समय यहां गुण और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी और मनुष्य के जीवन का सोपान 100 वर्ष का आंका गया था, जिसको चार आश्रमों में विभक्त किया गया था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, बानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। हो सकता है कि कभी यह व्यवस्था क्रियान्वित हुई हो तो शायद वह स्वर्ण युग रहा होगा। लेकिन ऐतिहासिक रूप से कभी पढ़ने को नहीं मिला बल्कि जन्म पर आधारित इस देश में सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है। जैसा कि माननीय पांडे जी ने कहा कि उस व्यवस्था से हमें बहुत नुकसान हुआ है। मान्यवर, उस व्यवस्था ने इस सोने की चिड़िया वाले देश को बहुत पीछे फेंक दिया है, यह देश पिछड़ा हो गया, यह देश गरीब हो गया, यह देश अशिक्षित हो गया, यह देश गुलाम हो गया, यह देश हर हमलावर के साने पिटा, उसने घुटने टेके, यह देश लुटा और इस देश के टुकड़े हुए और इस देश की सीमाओं को खतरा हुआ। लेकिन मैं विस्तार में न जाकर यह कहना चाहता हूं कि समाज का वह अंग इतने तमाम अपमान, प्रताड़नाओं के बावजूद और इन सारी मानवीय मान्यताओं के कि उनको अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, अच्छी शिक्षा मिले, उसे अच्छा रहन-सहन मिले, उसे समाज में सम्मान मिले, शासन प्रशासन में, संपत्ति में उसकी भागीदारी हो, उसे इन सब से महरूम कर दिया गया। लेकिन उसका धैर्य देखिये। उसने कभी देश के साथ द्रोह नहीं किया और सब से दामन थामकर हजारों हजार सालों तक चुप बैठा रहा। मान्यवर, 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज के नाम पर, आर्य समाज के नाम पर, पैरियर रामास्वामी नायकर और महात्मा ज्योतिबा फुले और डा० बाबा साहेब अम्बेडकर स्वामी विवेकानन्द और बहुत से महापुरुषों ने इस देश की सामाजिक परिस्थिति का आंकलन किया। उन्होंने जब इन वर्गों और इन वर्णों की स्थिति का आंकलन किया तो सारे देश के सामने उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि इसका हम प्रायश्चित करेंगे और इस समाज के अभिन्न अंग को जो सदियों से अपमानित, प्रताड़ित तिरस्कृत और बहिस्कृत रहा है, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लायेंगे। इसलिये संविधान के निर्माताओं ने कांस्टिटुयेंट असेंबली के अंदर इस पर बहस-मुबाहिसा कर संविधान के प्रावधानों के माध्यम से इन वर्गों को ऊपर उठाने का संकल्प लिया। मैं इस विषय में उन बातों को नहीं दोहराना चाहता जिनका अन्य माननीय सदस्यों ने यहां पर उल्लेख किया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय संविधान में प्रयंबल मूल प्रस्तावना को पढ़ा जाय और उस पर ध्यान दिया जाय तो पता चलता है कि अगर यहां के शासक और प्रशासक उस पर ध्यान देते तो इन वर्गों का आजादी के बाद के इन 40–42 सालों में कल्याण हो गया होता। लेकिन मान्यवर आज स्थिति क्या है। मैं एक एक बात खोदना चाहता हूं कि विद्यार्थियों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता, मैडिकल इंजीनियरी में दाखिला नहीं मिलता, मिलता है तो प्रेक्टिकल में फेल किया जाता है और दस-दस साल तक उनको पास नहीं किया जाता है। एम० ए० और एम० डी० में उनकी दाखिला नहीं मिलता। टीचर प्राइमरी स्कूल में, जुनियर हाई स्कूल में मिल जायेंगे मगर हायर सेकेंड्री स्कूल इंटरमीडियेट, डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटी में मिलते नहीं हैं। जिलों में सरकारी वकील, डी० जी० सी० क्रिमिनल, डी० जी० सी० सिविल, डी० जी० सी०

[श्री संघ प्रिय गौतम]

रेवन्यू एवं पैनल लॉयर आपको बराय नाम इक्का दुक्का मिल जायेंगे बाकी किसी कोर्ट में मिलेंगे नहीं। स्टेंडिंग कांउसिल में भी नहीं मिलेंगे और जब ये यहां नहीं होंगे तो हाई कोर्ट में जज बनाने की अर्हता वे हासिल नहीं कर पायेंगे वैसे यह अनिवार्य नहीं है। दस साल अगर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट रहा हो तो वह हाई कोर्ट का जज हो सकता है। लेकिन हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया जाता। आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लगभग 400 जजेज हैं, 1, 2 या 3 को छोड़कर इन वर्गों का कोई भी जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं है अब मान्यवर, डाक्टरों की ओर आइये। डाक्टरों की भी यही दुर्दशा है। आज मैं पढ रहा था कि बिहार में 346 जगहें जूनियर स्केल ग्रेड के डाक्टरों की हैं लेकिन कुल 46 डाक्टर वहां पर हैं और बड़े पदों पर ये डाक्टर पहुंचाये नहीं जाते। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की स्थिति क्या है। शैडयूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट हर साल यहां पेश हुई। किसी भी कैटेगरी में आरक्षित कोटा पूरा नहीं है। आरक्षित कोटा केवल एप्वाइंटमेंट में नहीं है संविधान की धारा 16(4) में क्लियर लिखा हुआ है:

"The reservation in appointment and in posts."

और जब मैं पोस्ट्स की बात करता हूं, राष्ट्रपति आज तक कोई नहीं हुआ, उप राष्ट्रपति आज तक कोई नहीं हुआ, किसी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई नहीं हुआ। एम्बेसडर आज एक दो जगहों पर कोई होंगे ... (व्यवधान)

इस बिल को जो लाया गया है इसलिए लाया गया है कि इन वर्गों के अधिकार आरक्षण में सुनिश्चित हो और जो इनके ऊपर जुल्म, अत्याचार होते हैं वे खत्म हों, उनका आर्थिक विकास हो। यही तो इनकी मंशा है लेकिन यह मंशा पूरी नहीं हो रही है और पहले नहीं हुई। आज यह हालत है तो पहले क्या हालत रही होगी। आज आप एम्बेसडर्स और राज्यपालों में देखें, और तो और मैं यहां बताऊं कि आपकी कैबिनेट में हमारे कितने लोग बैठे हैं। इन्होंने (कांग्रेस) गलतियां तो बहुत की हैं लेकिन उनके जमाने में भी 2-3 कैबिनेट के मिनिस्टर थे। इनके (राष्ट्रीय मोर्चा) यहां तो एक ही मिनिस्टर है जिन्होंने यह बिल पेश किया है और जब प्रकाश स्तम्भ ही अंधेरा फेंक रहा है तो देश में प्रकाश कैसे होगा इसमें मुझे संदेह है ..

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि आज सामाजिक कार्यकर्ता कोई मिलता नहीं, झूठे मुकदमों में फंसाए जाते हैं। आम जनता की स्थिति क्या है? .. (व्यवधान) मैंने स्पीड अपनी तेज कर दी है, हो सकता है लिखने वाले भी बीच में कहीं छोड़े जाएं। आम जनता की क्या स्थिति है? फैक्ट्रियों में काम करते हम हैं लेकिन फैक्ट्री के मालिक नहीं हैं, भट्ठे पर ईंटें हम बनाते हैं लेकिन भट्टे के मालिक नहीं हैं, ड्राइवर और कंडक्टर हम हैं लेकिन बसें हमारी नहीं चल रही हैं। मकान हम बनाते हैं लेकिन झोंपड़ियों में रहते हैं, महल हम बनाते हैं लेकिन झोंपड़ियों में रहते हैं, सड़कें हम बनाते हैं लेकिन कारें इनकी चलती हैं, हम पैदल चलते हैं। मंदिर ये बनाते हैं, भगवान ये बनाते हैं लेकिन दर्शनों से ये वंचित रहते हैं और सामाजिक सेवा और देश का निर्माण ये करते हैं। लेकिन अपमान इनका होता है। मान्यवर, आज इतने वर्षों के बाद भी यह स्थिति है।

यह जो बिल आया है, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं तो सिर्फ राम विलास पासवान जी की नीयत का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

I found that there is political will in him to do something good for this society.

इसलिए मैं उनकी बात का तो समर्थन करना चाहता हूं। .. (समय की

घंटी) मान्यवर, थोडा सा आप मुझे समय दीजिए। अधिक समय न लेकर मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे मित्र जब और वर्गों की बात करते हैं और भारतवर्ष में चाहे कोई भी वर्ग हो, पिछड़ी जाति हो, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो सबके हित सुरक्षित हों हमारा यह संकल्प है और होना चाहिए, लेकिन मैं अपने उन भाइयों से जो तथाकथित माइनारिटीज से आते हैं उनसे एक बात की क्षमा चाहूंगा कि अन्य अवसरों पर वे अपने मसलों को उठाएं लेकिन जब इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के मसले आएं तब उन बातों को न छेंडे ताकि इनके मसले पीछे न पड़ जाएं, खटाई में न पड़ जाए, क्योंकि हम यह भी देख चुके हैं, इतिहास यह भी बताता है कि यहां पर मुस्लिम राज भी रहा, यहां पर क्रिश्चियन राज भी रहा लेकिन इन वर्गों की स्थिति उन राज्यों में भी वही रही जो हिन्दू राज में रही। इन्होंने भी इस वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल टच नहीं किया। इसलिए मै उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अन्य समय पर उन मसलों को उठाएं और दूसरी बात यह कि वास्तव में इन दोनों वर्गों की समस्याएं अलग-अलग हैं। इसलिए दोनों वर्गों के कमीशन अलग-अलग हों। अच्छा तो यह ज्यादा होगा लेकिन जैसे राम विलास पासवान जी ने कहा कि हम बाई रोटेशन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और सदस्यों का संख्या रखेंगे। इसलिए चलिए थोडे समय तक इसको भी प्रैक्टिस कर देखेंगे। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहूंगा एक उदाहरण देकरके। अभी यहां पर आंकडे मांगे थे कि यहां सर्विसेज में जहां प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं। सेक्रेटरी एक नहीं, एडीशनल सेक्रेटरी एक नहीं। अब यहां पूछा कि कितने लोग स्यूटेबुल हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हम को यह जवाब दिया कि यहां पर सेक्रेटरी के लिए शैडयूल्ड कास्ट एक और एक शैडयूल्ड ट्राइब सूटेबुल कंडीडेट है। तो फिर उन्हें क्यों नहीं सेक्रेटरी बनाते? आपके क्लासिफिकेशन के मुताबिक हो तो आएगा। बनाइये एक-एक सेक्रेटरी। आप कहते हैं कि एडीशनल सेक्रेटरी के लिए 14 एस० सी० और 6 एस० टी० अवेलेबल हैं। सूटेबल हैं, लेकिन ए भी एडीशनल सेक्रेटरी नहीं है। क्यों नहीं बनाते हैं? चलिए, आज से शुरूआत कर दीजिए, तो हमें आपकी पोलिटिकल विल का पता चल जाएगा। ज्वायंट सेक्रेटरी के लिए 126 एस० सी० 49 एस० टी० अवेलेबल हैं, जबकि कुल पास हैं और पैनल बनाया गया है मगर उसमें एस० सी० का और एस० टी० का एक भी नहीं है। फिर कैसे हम विश्वास कर लें?' इसलिए आप अपने वहां से शुरू कीजिए।

मैं अंत में मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं। जैसा मेरे दोस्त जोगी ने कहा, उनकी बहुत सी बातों का मैं समर्थन करता हूं कि यह कमीशन बेकार है अगर इसमें संशोधन नहीं लाए जाते। मान्यवर, मैं भी एडवोकेट हूं, इन्वैस्टीगेटिंग एजेंसी बहुत सी होती हैं। इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसी इन्वैस्टीगेशन के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है। तो यहां यह .... **(व्यवधान)** सिविल कोर्ट काट करके इसका कार्ट कोष्ठक में .. **(व्यवधान)** सिविल क्रिमिनल एंड रेवैन्यू ये तीनों लिखें। इन्वैस्टीगेशन करने के बाद, यह अपनी रिपोर्ट कोर्ट में भेजे और कोर्ट बाउंड हो कार्रवाई लेने के लिए, एक तो इसमें यह संशोधन हो ताकि इनकी प्रोसीक्यूशन हो सके जो दोषी हैं। दूसरी बात, जैसा मि० जोगी ने कहा कि इनका जो रेकमंडेशन है वह यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट पर बाइंडिंग हो। अगर वह रेकमंडेशन मानी नहीं जाएगी तो वह रद्दी की टोकरी में पड जाएगी। क्योंकि राम विलास पासवान जी यहां हैं नहीं और जो कोई भी इनके प्रतिनिधि यहां बैठे हों दोनों सुझावों का नोट कर लें और उनको बतायें कि ये मेरे सुझाव हैं साथ ही साथ, संविधान की धारा 335 में संशोधन हों और उसमें से निकाल दिया जाए।

"consistently with the maintenance of efficiency of administration."

इसके साथ, मान्यवर, इस बिल का समर्थन करता हूं। जोगी साहब ने

[श्री संघ प्रिय गौदम]

एक शेर कहा था, तो मैं भी एक शेर के साथ खत्म कर रहा हूं ।

"शमां को एक रात भी भारी है
जिस तरह,
हमने तो सारी उम्र गुजारी है
उस तरह ।"

इतने दिन हमें कठिनाइयों से गुजरते हुए हो गए, इसलिए मान्यवर, अब ज्यादा समय तक कठिनाइयां रहनी नहीं चाहिए । इस आशा और विश्वास के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) कुमारी सुशीला तिरिया । ... **(व्यवधान)** आप सत्या बहिन जी, कुमारी सुशीला तिरिया को सुनिए ।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) यहां पर केंद्रीय मंत्री को होना चाहिए था।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) वर्मा जी मंत्री हैं ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : इनका कहना है कि कोई हरिजन मंत्री रहना चाहिए ।

श्रीमती सत्या बहिन : कैबिनेट स्तर के मंत्री को होना चाहिए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : तिरिया जी की बात सुनिए, क्यों अड़ंगा लगा रही हैं ।

श्रीमती सत्या बहिन : अगर चिन्ता करनी है तो कैबिनेट मिनिस्टर को होनी चाहिए । जब इतने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा रहे हैं इस सदन में तो उनको यहां पर होना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : सत्या बहिन जी, वर्मा जी जो सुन रहे हैं । बड़े संवेदनशील मंत्री हैं । वह सारी बात बता देंगे ।

एक माननीय सदस्य : सुनने की बात अलग है मगर जो बोलते हैं उनके दिल का जो दर्द होता वह कैसे सुन पाएंगे ?

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : वह वर्मा जी आपके दर्द सुन रहे हैं ।

(व्यवधान) सुशीला तिरिया जी आप बहुत ही संक्षेप में बोलिए ।

कुमारी सुशीला तिरिया (उड़ीसा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम समय में बोलूंगी और दो-तीन प्वाइंटस बोलूंगी ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने के लिए मौका दिया आज के एस० सी० और एस० टी० के बिल पर, 68 अमेंडमेंट के ऊपर इसकी सपोर्ट करते हुए मैं कुछ प्वाइन्ट पर बोलना चाहूंगी कि आज जो यह बिल लाया गया है इसके अंदर जो चीज हमने देखा है इस चीज में सिर्फ हमको यह लगा है, ऐसी कुछ नई चीज नहीं है जो बाबा अंबेडकर जो देकर गए उस चीज को अगेन एंड अगेन हम रिपिट कर रहे हैं और मुझे तो यह लग रहा है कि आज तक हिंदुस्तान में सर्वाइवल आफ द फिटैस्ट ही चल रहा है । एस० सी० और एस० टी० की सुनवाई नहीं हो रही है अपनी सरकार के समय में भी और आज भी, हालांकि, हमें किसी सरकार का विरोध नहीं करना चाहिए । ... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : सदन तो आपकी बात सुन रही है ।

कुमारी सुशीला तिरिया : हां, तो उपसभाध्यक्ष महोदय, जो महाभारत हम देखते हैं तो उस समय धृतराष्ट्र संजय से बारबार पूछते हैं कि आज के महाभारत युद्ध में क्या हुआ है । बिल्कुल पट्टी बांधे हुए, आंखें बंद किए हुए, संजय से हमेशा हर बार सुनते रहते हैं । इसी तरह से आज गरीब बेचारा जो गांव में बैठा हुआ है एस० सी० एंड एस० टी० का गरीब, वह बेचारा सोचता होगा जो बिल हउस में आया है शायद उसमें हमारे लिए कोई नई चीज आई हो । हाउस में हमारे इन्टरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए शायद कोई ऐसी नई बात बन रही है । लेकिन हम सच्चाई देखें, हकीकत को देखकर हम बोलें तो इसमें तो कोई नई चीज है ही नहीं । हमारे जो संविधान में

है उसी की हम रिपीट करते जा रहे हैं और रिपीट होने जा रहा है । तो इसके अन्दर जो प्रेक्टीकल फील्ड है, सच्चाई के सामने लाते हुए कुछ प्वांइट इसमें एड करना चाहूंगी और कुछ सुझाव देना चाहूंगी । जो हमारे पूर्व वक्ता बोल कर गए कि आज जब शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स की बात आती है चाहे नौकरी में, चाहे प्रमोशन में, उस समय हमेशा एक बात आती है डी रिजिर्वेशन की और रिजिर्वेशन की बात तो में कहूंगी कि जब प्रमोशन की बात होती है उस समय हमेशा पेपर में एडवर्टाइजमेंट होता है, टी० वी० में होता है कि एस० सी० के लिए इतनी सीट मौजूद हैं । एस० टी० के लिए इतनी सीट मौजूद हैं लेकिन मैं आपकी तरफ से यह मांग करना चाहूंगी आज तक मैं समझ रही हूं कि केवल 50 परसेंट जो सीट रिजर्व हैं हमारे लिए 50 परसेंट सीट अभी तक रिजर्वेशन किया गया है और बाकी 50 परसेंट हमेंशा डी-रिजर्व होता जा रहा है और डी-रिजर्व होता ही है । कभी एस० सी० का सीट डी-रिजर्व होता है तो कभी एस० टी० का डी-रिजर्व होता है। तो मैं यह बोलना चाहूंगी कि यह हमेंशा इस तरह से आफ्टर 40 ईयर्ज आफ इंडीपेंडेंस क्या इस तरह से यह चलता रहेगा हमारी सीटस रिजर्वेशन के नाम पर हमेंशा डी-रिजर्व करते रहेंगे और हम उसी तरह से नीचे ही नीचे पडे रहेंगे ? दूसरी बात यह है कि संविधान के आर्टिकल 335 में लिखा गया है कि 'Claims of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to services and posts'.

मैं आपको यह बोलूंगी कि आज तक इस सरकार के अन्दर जब नया चीज ला रहे रहे हैं नई बात कर रहे हैं एस० सी० एंड एस० टी० के लिए, जो पब्लिसिटी अननसैसरी एस० एसी० के एंड एस० टी० के बारे में है, बहुत कुछ हमारे दिल में दर्द है हम जो बोल रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि आज तक इनकी सरकार जितने समय तक आए उस समय में कितना परसेंट फुलफिल किया है हमारे एस० सी० एंड एस० टी के लिए और कितनी सीट नान-अवेलेबिलिटी की वजह से डी० रिजर्व किया है । ...(व्यवधान)

SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY (Tamil Nadu): There are as many as 45,000 vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and they are not filled up. (*Interruption*).

KUMARI SUSHILA TIRIA: I am speaking about the Bill. I am a tribal. Both the sides of the House speak and think of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. (*Interruption*). I am a tribal lady. You have to support me. You have to listen to me at least.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): The only way to support her is to patiently listen to her. That is the best way to support her.

कुमारी सुशीला तिरिया : तो दूसरी बात यह है कि जब नान अवेलिबेलिटी की वजह से कोई सीट डी-रिजर्व हो जाती है तो मेरा यह सरकार से निवेदन है कि उस सीट को इतनी जल्दी डी-रिजर्व नहीं करिए उसको कम से कम 5-6 साल तक वेकेंट रख दिया जाए, डैपुटेशन पर हालांकि दूसरी कम्युनिटीज के आफिसर्स उस जगह पर काम करने के लिए लायेंगे , लेकिन तब तक कैंपेबल बना दिया जाए पांच-छः साल में और उसके बाद एस० सी० एन्ड एस० टी० से उस सीट को फुलफिल किया जाए । दूसरी बात यह है कि जब कंपीटिशन एग्जामिनेशन होता है आई ए० एस०, आई० पी० एस० या कई अन्य आफिसर पोस्टस में भी हो तो उस समय भी सेम नान-अवेलेबिलिटी की बात होती है । दूसरी साइड में जो हमारे एस० सी० एंड एस० टी० के अंदर में भी बहुत इटलजैक्चुल आते हैं जो कंपीटीशन में भी आकर आ जाते हैं। उनको भी रिजर्वेशन के अंदर ही रखा जाता है । वे लोग जहां कंपटीशन में क्वालिफाय कर के आते हैं, तो उनको रिजर्वेशन के अंदर नहीं रखना चाहिए। उनको जनरल कोटा में डाल दिया जाना चाहिए और रिजर्वेशन के अंदर जो एस०सी०एस०टी० के भाई क्वालिफाय करते हैं, उनको लाना चाहिए ।

[कुमारी सुशीला तिरिया]

महोदय, जब प्रमोशन की बात आती है तो उसमें बहुत बार एस०सी०एस०टी० के लोगों का हरासमेंट सी०सी० रोल की वजह से होता है। हाय लेवल पर तो हमारे आफिसर्स नहीं रहते हैं। वे तो अदर कास्ट के होते हैं और उनकी सी० सी० रोल को खराब कर देते हैं। जब प्रमोशन का समय आता है तो उसका सी०सी० रोल सामने रखकर बोलते हैं कि यह ठीक नहीं है, इसलिए उनको प्रमोशन के काबिल नहीं समझ रहे हैं। इसलिए मैं समझती हूं कि हर जगह जान बूझकर एट्रोसिटीज हो रही हैं। मैं मांग करूंगी कि सी०सी० रोल को नाकाम कर देना चाहिए और उसे काउंट नहीं करना चाहिए। May be C. C. Role is not good, but he or she may be getting promotion.

उसके बाद महोदय, महिला होने के नाते, मैं महिलाओं की बात भी कहना चाहूंगी। आज हिंदुस्तान में आदिवासी महिलाओं का एजुकेशन 2 परसेंट है। हमारे हाउस में तो मैं समझती हूं कि मैं अकेली आदिवासी हूं। लोकसभा में भी एक-दो ही होंगी। हाय-लेवल आफिसर्स में भी महिलाओं की जगह बहुत कम हैं। आप इस बिल में उनके इंटरेस्ट सेफगार्ड और सोशियो-इकोनामिक अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब बातें होंगी नहीं केवल पेपर पर रहेंगी और कब कामयाब होंगी यह तो ऊपर वाला ही जाने। इसलिए जब तक हमारा एजुकेशन का परसेंटेज 2 परसेंट है तब तक हम कैसे काबिल और कामयाब हो पाएंगी? मैं चाहूंगी कि हमारे कांस्टीट्यूशन के अंदर जो हमारे इंटरेस्ट्स हैं, उनको अधिक-से-अधिक स्ट्रेंदन करना चाहिए।

[The Vice-Chairman (Shri M. A. Baby) in the Chair.]

महोदय, टी० आर० डब्ल्यु० स्कूल्स के अंदर एट्रोसिटीज हो रही हैं। जब वहां हाय आफिसियल्स या मंत्रीगण इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो एस० सी०; एस० टी० महिलाओं को उनकी खुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महोदय, यह मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रूरल एरियाज में शिक्षा केवल 2 परसेंट है और टी. आर. डब्ल्यु. स्कूल्स में एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please conclude.

कुमारी सुशीला तिरिया : बड़े-बड़े आफिसर्स की लड़कियों में कोई पब्लिक स्कूल्स में पढ़ती है, कोई केन्द्रीय विद्यालय में और कोई हाय स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ती है। लेकिन हमें तो छोटे टी. आर. डब्ल्यु. स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है। तो वहां पर भी महिलाओं को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम उम्र से उनको गंदे रास्ते पर प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं कहना चाहूंगी कि एक जिले में टी. आर. डब्ल्यु. स्कूल्स काफी नहीं हैं। मैं यह भी कहूंगी कि टी. आर. डब्ल्यु स्कूल्स में प्रिंसिपल या हैड मिस्ट्रेस भी एस.सी./एस.टी. महिलाएं होनी चाहिए। जब तक एस०सी० एस टी० महिलाएं नहीं होंगी तब तक दूसरों की हमदर्दी इतनी ज्यादा नहीं होगी। दूसरे, एस०सी०एस०टी० महिलाओं के ऊपर तो हर तरह से एट्रोसिटीज होती हैं। बड़े घर की महिलाएं तो हरेक खराब काम परदे के पीछे करती हैं और उनकी बात माफ हो जाती है, लेकिन एस०सी० एस०टी० तो खुले दिल से सब से मिलते-जुलते हैं। इस कारण इन को मनुपलेट किया जाता है इसके अलावा आदिवासी महिलाओं पर कुछ भी होता है तो वह बड़े-बड़े अक्षरों में अखबारों में छप जाता है। थे यह पूछना चाहती हूं कि क्या दूसरे समाज की महिलाओं पर कुछ नहीं हो रहा है। हमेशा आदिवासी महिलाओं की पब्लिसिटी होती है और उनको जब आगे लाने की बात होती है या टी०वी० पर पब्लिसिटी होती है तो उनकी नेकेड पब्लिसिटी होती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please conclude; otherwise other Members of Congress (I) Party will not get time. Already you have taken enough time.

तो उनके अपलिफ्टमेंट की बात नहीं होती है। उनकी पब्लसिटी नेकेड चित्र के अनुसार ही होती है। मैं मांग करूंगी कि उनका इम्प्रूवमेंट या अपलिफ्टमेंट सही ढंग से होना चाहिए। उनके आगे लाने की बात दिल से सोच कर करनी चाहिए।

सिम्पली प्लेन पेपर पब्लिसिटी के लिए नहीं नहीं करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कमीशन बन रहा है, इसमें मेरी मांग यह होगी कि आदिवासी हरिजन महिलाओं के लिए भी एक सेल होना चाहिए और उसी सेल के अंदर इनकी इकोनामिक कंडीशन और जो एस०सी०/एस०टी० महिलाओं के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनकी जांच होनी चाहिए । एक साल में एक-एक करके हुई जांच की रिपोर्ट इस माननीय सदन में आनी चाहिए और दूसरे माननीय सदन में भी आनी चाहिए ताकि उनकी रिपोर्ट से हमें पता लग सके कि एस०सी०/एस०टी० के ऊपर कितनी एट्रोसिटीज हो रही हैं। इसके बाद जो एस०सी०/एस०टी० महिलाओं की, जैसे सर्वेण्ट की नीलामी होती है, वैसे होती है, उसको रोकना चाहिए । ऐसी नीलामी होने के बाद पुलिस उनको पकड़ती भी है और कुछ पकड़ा भी है, उनके लिए भी रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए । जहां तक एस०सी०/एस०टी० महिलाओं के परमोशन की बात है, इन महिलाओं को प्राइरिटी देनी चाहिए और उसमें यह नहीं देखना चाहिए कि जैसे ग्रेजुएट की उसमें बात है कि ग्रेजुएट हो, अगर न भी हो तो भी उसे परमोशन देना चाहिए और इसी तरह सी०सी०रोल भी उतना अच्छा न हो तो भी उसे परमोशन देनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी और इस बिल का समर्थन करते हुए इतना कहूंगी कि यह जो आज के मिनिस्टर है, जो यह बिल लाए हैं, यह भी हमारे भाई हैं और इनके दिल में भी आदिवासी/हरिजनों के लिए अवश्य धड़कन होगी, वह इसको देखेंगे कि यह केवल कागजों में या किताबों में ही न रह जाए बल्कि इसको गांव-गांव में ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाकर इसको कामयाब किया जाए । जो हमारे प्रोवीजन है, विशेषकर 335, 338 में इसको फ्रूटफुल करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए गांव-गांव लेवल तक जांच करके उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश होनी चाहिए।

आखिर में, यह सरकार जो भी कर रही है एस०सी०/एस०टी० के लिए, मैं इसका समर्थन करते हुए यही कहूंगी कि जो भी मैंने सुझाव दिए हैं, स्वीकार किए जायं और जो मेरी मांग है, खासतौर से एस०सी०/एस०टी० महिलाओं के संबंध में, उस पर विचार करके इन्हें आगे लाने की कोशिश की जाए । बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Now, Mrs. Kamla Sinha. You see, the allotted time for this discussion which is two hours is already over. Therefore, I do not think the other Members whose names are there in the list can be called to speak. So, just take two minutes. Make your points only; do not make speeches. Just make your points so that they can be recorded. Yes, Mrs. Sinha. Just make only the points; do not make any speech.

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): I am told, Sir, that our party has got fifteen minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): It is already over.

SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR (Maharashtra): Mr. Vice- Chairman, Sir, you have just observed that the Members should make only points. But this is an important issue; the Constitution is being amended. Therefore, I fervently appeal to you not to put an embargo or apply the guillotine on the speeches of the Members. You see, all the parties are one on this issue. All the parties want that the safeguards should be put into the Constitution. But in what form it should be done, on that we must have the views of the Members so that the Government can be enlightened on that. If you merely say that the Members should make only points, then it will be only clarification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): The only problem is that two hours have been allotted and we have exhausted that. I understand

[Shrimati M. A. Baby]
and I appreciate your point. But my problem is one of time.

SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR: You can take the sense of the House if you so desire. This is what I would like to submit. You see, when we amend the Constitution, we turn ourselves into a Constituent Assembly. So, we must apply our minds to the original tenets and also into what is bring proposed. I would fervently appeal to you not to hurry the Members and ask them to restrict themselves to the points. If the party gives up its time, it is all right. But it won't be appropriate for the Chair to say that they should restrict themselves.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): I appreciate the point raised by the honourable Member. But we have already allotted two hours for the Bill and if the Chair wanted to hurry it, the discussion would have been closed by now. Now two hours are over, the time allotted for this discussion. Since the Chair did not want to hurry it, more time was allotted...

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Extend the Session.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): That the Chairman can decide, whether the Session can be extended or not.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Whoever is in the Chair can take the consent of the House and if the House gives its consent, you can extend it.

SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR: It would not be appropriate for the Chair to give a ruling that they should restrict themselves. The subject is so touchy. The socio-economic conditions of the people are involved and Members from several walks of life want enlighten the House as to what the conditions are. I was listening to the honourable lady Member, Miss Sushila Tiria, here. She has thrown some light on important aspects and I don't know what the Government will think of it.

SHRI V. NARAYANASAMY: We have two Bills for five hours. Three hours are allotted to the Sixtysixth Amendment Bill. Part of that time may be given to this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): We have already allotted two hours and two hours are over. We cannot take a decision just like that that we are giving more time. The point is whenever we have a discussion the discussion should be to the point. (*Interruption*) I don't understand what agitates the Members? How can so many of you stand up and speak at the same time? We are going to take almost three hours on this Bill. Two hours are already over.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: The time was decided by the Business Advisory Committee and the Deputy Chairman before leaving the Chair this morning announced..(interruption)

श्री राम अवधेश सिंह : यह हाऊस 3.00 बजे सुबह तक बैठा है। बैठाइए इसको, लेकिन विस्तार से बहस हो।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : सरकार इतने महत्वपूर्ण मसले पर अभी तक सोई हुई थी और अब सिर्फ दो घंटे में कई करोड़ लोगों के भाग्य का निबटारा करना चाहती है। **(व्यवधान)**

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Let us extend by two hours and we will sit up to 12 o'clock.

उपसभाध्यक्ष (श्री एम०ए० बेबी) : आपका नाम है राम अवधेश जी, आपको बोलने के लिए समय देंगे।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : सरकार अंतिम दिन इसको लाई है ताकि सारे सदस्य अपने विचार प्रकट न कर पाएं। हम सब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं क्योंकि यह हमारे देश के हरिजनों और आदिवासियों से संबंधित है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि या तो आप समय का विस्तार करें अथवा दूसरे सेशन तक कांटीन्यू करें इसको।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY: No, that cannot be done.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: The time allotted for both the Bills is five hours, two for this and three for the other Bill. It was announced by the Deputy Chairman in the morning and it was accepted by the House. Therefore, my submission is this debate should go on.

(*Interruption*)

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों और आदिवासियों के साथ तो अन्याय हो ही रहा है। जो बहस चल रही है, उसमें भी अन्याय हो रहा है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : हरिजनों की समस्या दो घंटे में सरकार सुलझाना चाहती है . . . (**व्यवधान**) ब्राह्मण होते हुए भी मैं हरिजनों और आदिवासियों का सबसे बड़ा समर्थक हूं। मुझे बोलने का मौका दिया जाए . . .

(*Interruption*)

SHRI G. G. SWELL (Meghalaya): There is a demand to extend the discussion on this important subject by two hours. I have just spoken to the Minister. The House is supreme. It is an important issue which is agitating the Members. If all agree and the Minister agrees, let it be extended by two hours.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): There has been a discussion and we have to fix up the time for voting also as is known to everybody. There is some general understanding that voting should take place at that time. We cannot prolong it indefinitely. There are no two opinions on this that each one of us is very much concerned about the subject. Now, we have already taken more time than has been allotted. Let us now decide how much more time we are taking.

SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR: I request you to take the feelings of the whole House on this. The whole House is with you.

AN HON. MEMBER: The whole population is related to this Bill. (*In*- . . . (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Silence, please. Shrimati Kamla Sinha.

श्रीमती कमला सिन्हा : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिन्होंने इस संशोधन विधेयक के जरिए शैड्यूल कास्ट एंड शैड्यूल ट्राइब कमीशन को सशक्त बनाने की कोशिश की है। महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रही हूं कि यह मेरा अपना अनुभव है। मैं आपको बहुत ही संक्षेप में यह बताना चाहूंगी कि पलामू जिला बिहार का एक बहुत ही पिछड़ी जिला है। पूरा देश आजाद हो गया लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकती हूं कि पलामू जिला अभी तक आजाद नहीं हुआ है। पलामू जिले में 1973 में एक घटना घटी थी। वहां के एक जमींदार से साढ़े पांच सौ एकड़ जमीन को बेनामी बेच दिया और जिनके हाथ बेचा था उन सज्जन ने हरिजनों और आदिवासियों को उजाड़ने का काम किया। इस विवाद में एक हत्या भी हो गई। मैं उन दिनों समाजवादी दल में थी और वहां के लोगों ने कहा कि आप चलिए उस गांव में। उस सवाल को मैंने विधान परिषद में उठाया और निरन्तर मैं लड़ती रही लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली।

मैंने इस शैड्यूल्ड कास्ट एंड शैड्यूल्ड ट्राइब कमीशन को भी लिखा। तीन साल तक लगातार इस मामले की इन्क्वायरी हुई, 6 साल तक मामला चला लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं हुआ है। यह ठीक है कि गांव के लोग उजड़े नहीं हैं क्योंकि बीच में कई बार सरकारें बदलीं। 1977 में हमारी सरकार आई, अब फिर हमारी सरकार आई है और हमने किसी तरह उनको उजड़ने से रोके रखा है। हम यह आशा करेंगे कि यह कमीशन सशक्त बनेगा और जहां कहीं भी इस

[श्रीमती कमला सिन्हा]

तरह की कोई घटना होगी, वह उसको रोकने का काम कर पाएगा।

महोदय, कुछ लोगों ने कहा कि इसका तो विशेष काम भी नहीं, खाली रिपोर्ट बनायो, कमीशन ही होगा। परन्तु कमीशन का काम होता है सदन को रिपोर्ट करना, रिपोर्ट पेश करना और साथ-साथ यह भी होता है कि रिपोर्ट के इंप्लीमेंटेशन के काम की जिम्मेदारी भी लेना तो इसमें जैसा कहा गया है कि क्लाज-5 में :

Clause (5) (a)says: "to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under this Constituion or under any other law for the time being in force or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards;"

तो यह प्रावधान किया जा रहा है जिससे इस कमीशन को इंवेस्टीगेट करने का अधिकार होगा और सारे मामलों को मॉनीटर करने का भी अधिकार होगा और साथ ही साथ प्रत्येक जगह जहांकहीं प्लानिंग प्रोसस होगा, सोसल इकानामी डवलपमेंट का प्रोसेस होगा उसमें पार्टीसिपेट करने का उस प्रासेस में चाहे वो इट नेशनल प्लानिंग, बो इट स्टेट प्लानिंग उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा और साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए सुझाव देने का भी अधिकार होगा और सुझाव को अमल में लाने का काम, यह सही बात है, यह पालिटिकल विल की बात है। हम लोगों ने तो पिछले दिनों जो सरकार चली आयी उनको पालिटिकल विल नहीं था। अगर होता तो इस बात को सुधार सकते थे। 42 साल बीत गये हिन्दुस्तान को आजादी को, आज भी हमने सुना बस्तर के भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वह, सशक्त थे, अधिकार को इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन वह भी कर नहीं सके। जबकि यह कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज दी पाइवट आफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर रहते हुए भी वे लागू नहीं कर पाये। इसका कारण पौलिटिकल पावर दैट वाज उनको यह पौलिटिकल विल नहीं थी और हमें खशी है कि आज जो पौलिटिकल पावर दैट इज इसको यह पौलिटिकल पावर है कि इस काम को हम करेंगे तो इसलिए हमारे मंत्री जी ने यह जो संशोधन विधेयक पेश किया उसका मैं स्वागत करती हूं।

महोदय, एक-दो बात और कहना चाहूंगी कि इसमें यह कहा गया है कि इसको शक्तिशाली बनाने के लिए एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और पांच सदस्य होंगे और वह रूल जो बनाया जाएगा उसमें दिया जाएगा, यह हम आशा करते हैं तो यह रिपोर्ट जो आएगी उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का, मोनीटरिंग करने का काम रूल के मातहत करना पड़ेगा। मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि नेशनल कमीशन फार शेडयल्ड ट्राइब्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्स कास्ट तो बने लेकिन प्रान्तों में भी ऐसा कमीशन बनना चाहिए और प्रान्त के कमीशन के जरिए जो फैसला होगा उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का भी अधिकार कुछ हद तक उनको मिलना चाहिए। जैसा उड़ीसा की हमारी एक आदिवासी बहन ने कहा कि महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होता है। मैं तो यह मानती हूं कि महिला वर्ग भी शोषित वर्ग हैं। आज समाज में अगर सचमुच में कोई शोषित वर्ग है तो महिलाओं से ज्यादा शोषित वर्ग कोई नहीं है, तो महिलाओं के प्रति और वह भी जब हरिजन आदिवासी महिला होती है, बहनें होती हैं तो शोषितों में भी शोषित, दलितों में भी दलित तो उनको आगे लाने के लिए निश्चित रूप से सरकार को कुछ विशेष कार्यक्रम करना पड़ेगा। महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मुझे 1969 में जाने का मौका मिला था। बिहार का ही मैं उदाहरण देना चाहती हूं क्योंकि मैं बिहार की रहने वाली हूं। वहां कैमूर पहाड़ में बिन्ध्य पहाड़ के ऊपर एक हमारा ब्लौक है, उसका नाम है अधौड़ा। अधौड़ा पहाड़ के एक गांव में आदिवासी महिलाओं को पुलिस वालों ने वहां के जो महाजन थे, जमीन के लिए उनको लाल कार्ड तो मिल गया था, खेती भी करते थे, लेकिन खेती का उपज वह घर नहीं ले जा सकते थे यह महाजन चाहते थे और जब उन लोगों ने विरोध किया

तो स्थानीय पुलिस की मदद से उस महाजन ने गुंडों की मदद से सारा धान अपने घर ले जाकर और गांव की पूरी औरतों का गैंग रेप किया था। मुझे मेरी सोशलिस्ट पार्टी ने उस समय कहा कि आप जाइए और जाकर इसकी इंक्वायरी कीजिए। मैं गयी, मैंने बहनों से बात की और बयान नहीं कर सकती, मैं-डटकर रोयी वहां जो दर्दनाक हालत मैंने देखी, जिस तरह से रोते हुए हमने देखा लोगों को, जिस हालात में देखा--पहनने को कपड़ा नहीं, ओढ़ने को कुछ नहीं, हम एयर कंडीशंड रूम में बैठकर बातें करते हैं। हम अच्छी-अच्छी बातें करते हैं। गाड़ियों

2.00 P.M. में चलते हैं और वहां की औरतें, मर्द और बच्चे सड़कों पर सोते हैं, औरतों के पास ओढ़ने के लिए कम्बल, रजाई तक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इस तरह की हालत वहां पर बहनों की रही। उसके बाद जयप्रकाश जी ने वहां पर एक वनवासी सेवा केन्द्र की स्थापना अकाल के बाद 1967 में की। उस वनवासी सेवा केन्द्र के जरिये उन्होंने अपने लोगों को कहा कि इन के लिए कोई रोजगार के विकास की जरूरत नहीं है, इनके लिए आर्थिक विकास का काम करो, आर्थिक विकास के जरिये ही सामाजिक विकास होगा। उनकी पढ़ाई-लिखाई और उनके आर्थिक विकास के लिए एम्पलायमेंट जनरेट करें, तरह-तरह के काम करें, ड्राई फार्मिंग का काम सिखाया गया। एकजेम्पलरी वर्क हो रहा है ? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कई दिनों वहां रही। मैं बार-बार जाया करती हूं और देखती हूं कि औरतों को तस्सर बीनने का काम सिखाया जाता था। मैं यह कहना चाहती हूं कि आदिवासी महिलाओं, हरिजन महिलाओं के लिए विशेष रूप से एक केन्द्र खोल देना और यह कह देना कि हम उनका विकास करना चाहते हैं तो इससे काम नहीं होगा। विकास के लिए निश्चित दिशा में कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ काम करने पड़ेंगे। और जब तक उनको सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा के रूप में काम नहीं दे पायेंगे तब तक यह काम सम्भव नहीं होगा। आर्थिक प्रतिष्ठा देने के लिए उनको आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने का काम करना होगा। इस दिशा में जो स्थानीय रूप से मुहैय्या हो सकता है सामान वह तैयार करें। उसकी बिक्री के केन्द्र खोलें। उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। यह आशा हम अपने राम विलास पासवान से करते हैं।

एक बात और कहना चाहती हूं जिसका जिक्र हमारे बस्तर के भाई ने किया कि जहां कहीं विकास के नाम पर कुछ काम होता है, चाहे वह बांध बनाने का काम हो, कलकारखाने बनाने का काम हो, यह काम दुर्भाग्यवश जहां खनिज पदार्थ होते हैं वहां पर होता है। रांची जिले में हमारे आदिवासी भाई उजाड़े गये इसी काम के लिए। सुवर्ण रेखा बांध बन रहा है सुवर्ण नदी पर। इस कारण से आदिवासी उजड़ रहे हैं। तिल्लया का बांध बना दामोदर के ऊपर वहां भी हजारों लोग उजाड़े गये। गांव डूब गये। नर्मदा सागर की भी यही कहानी होने वाली है। आज जो भी डिसप्लेस्ड हो गये हैं, जो गांव से उजाड़े गये हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो पायी है। क्योंकि उनके जीने का अपना एक लाइफ पटर्न होता है, जो आदिवासी जंगल में रहते हैं वह अपने ही परिवेश में रहना चाहते हैं। उनको लाकर दिल्ली में कहीं पर बसा देंगे तो तो वह जी नहीं सकेंगे। उनको अपने परिवेश में जीने की सुविधा देनी होगी सरकार को। मैं नहीं जानती सरकार इस काम को कर सकेगी या नहीं। इसमें सरकार को अवश्य ही सोचना चाहिए। जब उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो जाए तब ही उनको उजाड़ा जाए। क्योंकि जब तक उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होगी, उनकी रोजी-रोटी की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक उनका कुछ नहीं होने वाला है। आदिवासी खेत से जुड़े होते हैं। जमीन से जुड़े होते हैं, वन से जुड़े हो हैं। इसलिए वहां जहां कहीं कल कारखाने लगाये, या और कोई काम करें पहले उनके लिए ये चीजें मुहैय्या करें। मैंने देखा है। मैं श्रमिक संगठनों से जुड़ी रही हूं। हमारे यहां साहबगंज में इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का काम हो रहा है। इसके लिए वहां से हजारों लोगों को उजाड़ा गया। उनको बसाने का काम

[श्रीमती कमला सिन्हा]

अभी तक नहीं किया गया । वे इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं । स्टैंडिंग आर्डर में यह लिखा है कि जिनको उजाड़ा जायेगा उनके प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को नियोजन मिलेगा । मैं जानती हूं कि नियोजन मिलता किस को है, नियोजन कहां मिलता है, नियोजन मिलता है फोर्थ ग्रेड में । जो अफसर होंगे वे बाहर से आ जायेंगे । बम्बई से आ जायेंगे, मद्रास से आ जायेंगे, दिल्ली से लोग चले आयेंगे। लेकिन लाल मिट्टी में पैदा हुआ इन्सान सुपरवाइजर तक नहीं हो सकता है । हमें आशा है इस ओर राम विलास जी ध्यान देंगे । जो विस्थापित हुए हैं उनको रोजगार अवश्य स्थानीय रूप से मिलेगा। जो वहां पढ़े-लिखे लोग हैं उनको उचित ध्यान पर नियोजन मिलना ही चाहिए । जिनको आप उजाड़ रहे हैं उनके जीने का रास्ता आपको खोलना है । यह सरकार को करना पड़ेगा ।

तीसरी बात यह है कि आज हमारे यहां कानूनन हरिजन आदिवासियों के लिए थाने बने हुए हैं । विशेष थानों का इंतजाम है । लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए, हरिजन आदिवासी महिलाओं के लिए अलग से थाना, अलग से सैल होना चाहिए । होता यह है कि किसी भी जुर्म में किसी भी हरिजन आदिवासी महिला को पकड़ लिया जाता है तो जैसा हम जानते हैं, शाम के बाद उनको बंद करके नहीं रखा जा सकता . . . । लेकिन अक्सर उनको शाम के बाद रखा जाता है और अक्सर शाम के वक्त रेप्स होते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है । यह काम बंद होना चाहिए । कानून का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन करने वालों को इजाजत नहीं होनी चाहिए और ऐसे दोषी अफसरों को कड़ाई के साथ सजा देनी चाहिए और महिलाओं के लिए अलग से सैल होना चाहिए । अलग से स्पेशल एसिस्टेन्स मिलनी चाहिए, उनका इकोनोमिक डेवलपमेंट होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होने पर उनका रिसेटलमेंट होना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूं और विशेषकर श्री राम विलास पासवान जी को धन्यवाद देती हूं, इसलिए नहीं कि वे मेरे प्रान्त के हैं, मेरे भाई जैसे हैं, इसलिए नहीं हमारे पुराने साथी हैं, बल्कि इसलिए कि इतने संवेदनशील और सशक्त संगठन को बनाने का काम करने का उन्होंने विचार रखा जिसको हमारे मंत्रि-मंडल ने मान लिया । इसलिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Shri Khaleelur Rahman.

SHRI V. NARAYANASAMY: I wanted only five minutes for each Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please understand that the time allowed for you has already been exhausted.

CHOWDHRY HARI SINGH (Uttar Pradesh): How much time has been given to them?

THE DEPUTY CHAIRMAN: As per the convention, once the time is consumed, you will not be called. Yes, Mr. Khaleelur Rahman. (*Interruptions*).

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश) : जनाब वाइस-चेयरमैन साहब, मैं इस कांस्टिट्यूशन (अड़सठवां एमेन्डमेंट) बिल, 1990 की भरपूर ताईद करता हूं । मैं नेशनल फ्रन्ट हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि वह एक के बाद एक अपने इलेक्शन मैनुफेस्टो में दिये गये वायदों को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रही है । चुनांचे यह बिल उसी वायदे की तसमील है । शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्ज की भलाई और बहबूदी के लिए और वेलफेयर के लिए हमारे कांस्टिट्यूशन में कई आर्टिकल मौजूद हैं। उनके अलावा इनके लिए एक कमीशन भी है । यह कोई हाई पावर कमीशन नहीं है और इसको अभी तक कोई खास अख्तियारात भी नहीं हैं । इसके अलावा पार्लियामेंट की एक कमेटी भी है जो वक्तन फक्तन अपनी रिपोर्ट देती है । इन तमाम बातों के बावजूद भी निहायत

अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब के लिए जो काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ । अभी भी छुआछूत का दौर पूरे देश में है । बोन्डेड लेबर का सिस्टम है। यह भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है । हमारे तस्तूर के तहत शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन दिया गया है । लेकिन रिजर्वेशन पर अमल नहीं होता है । अगर रिजर्वेशन पर अमल होता तो जो 45 हजार जायदादें हमारे मुल्क में खाली पड़ी हुई हैं वे खाली नही होतीं। उनका फिल अप नहीं होना इस बात का सबूत है कि इस पालिसी पर अमल नहीं होता है । मैं वजारे वेलफेयर से जोरदार अपील करना चाहता हूं कि जो 45 हजार वेकेन्सीज खाली हैं उनको वे जल्दी से जल्दी फिल अप करने की कोशिश करें । इसके अलावा हम यह भी चाहते हैं कि अट्रोसिटीज की जो बात चल रही है, हम यह सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में और मुल्क के हर हिस्से में जो है हरिजन भाइयों और बहनों पर अट्रोसिटीज होती जा रही हैं । मगर इसके बावजूद हुकूमत इसके बारे में हमेशा नाकाम रही है । हुकूमत को चाहिये कि वह इन अट्रोसिटीज को रोके, लोगों पर जो जुल्म हो रहे हैं, उन पर जो सितम हो रहे हैं, उनको रोको लिहाजा, जरुरत इस बात की है कि इन अट्रोसिटीज को खत्म किया जाय । मैं समझता हूं कि हुकूमत इन सब बातों को पेशेनजर रखते हुए एक हाई पावर नेशनल कमीशन फार शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स के ताल्लुक से हमारे दस्तूर में तरमीम लेकर आई है और इस तरमीम के जरिये जमानत दी जा रही है कि शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स भाइयों के लिये कमीशन कायम किया जायेगा और उस कमीशन को अखितयारात दिये गये हैं, मुकम्मल हकूक दिये गये हैं, उनके ताल्लुक से जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को दूर करें और इन हकूक की मुअस्सर तरीके पर अमलावरी करें । मुझे पूरा यकीन है कि कमीशन इस सिलसिले में काम करेगा और जिस मकसद को सामने रखकर यह तरमीम की जा रही है उसकी बकमील होगी । शुक्रिया ।

† [شری محمد خلیل الرحمان (آندھرا پردیش) : جناب وائس چیرمین صاحب - میں اس کانسٹی ٹیوشن (ازسٹھوان امنڈمنٹ) بل 1990 کی بھرپور تائید کرتا ہوں - میں نیشنل فرنٹ حکومت کو مبارک باد دیتا ہوں کہ وہ ایک کے بعد ایک اپنے الیکشن مینوفیسٹو میں کئے گئے وعدوں کو جلدی سے جلدی پورا کرنے کی کوشش کررہی ہے - چنانچہ یہ بل اس وعدے کی تعمیل ہے - شیڈولڈ کاسٹ اور شیڈولڈ ٹرائیس کی بھلائی اور بہبودی اور ویلفیئر کیلئے ہمارے کانسٹی ٹیوشن میں کئی آرٹیکل موجود ہیں - انکے علاوہ انکے لئے ایک کمیشن بھی ہے - یہ کوئی ہائی پاور کمیشن نہیں اور اسکو ابھی تک کوئی خاص اختیارات بھی نہیں ہیں - اسکے علاوہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بھی ہے جو وقتاً فوقتاً اپنی رپورٹ دیتی ہے - ان تمام باتوں کے باوجود بھی نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیڈولڈ کاسٹ اور شیڈولڈ ٹرائب کیلئے جو کام ہونا چاہئے تھا وہ نہیں ہوا - ابھی بھی چھواچھوت کا دور پورے دیش میں ہیں - بونڈڈ لیبر کا سسٹم ہے - یہ بھی ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے - ہمارے دستور کے تحت شیڈولڈ کاسٹ اور شیڈولڈ ٹرائب کو رزرویشن دیا گیا ہے - لیکن رزرویشن پر عمل نہیں ہوتا ہے - اگر رزرویشن پر عمل ہوتا تو جو ۴۵ ہزار جائدادیں ملک میں خالی پڑی ہوئی ہیں وہ خالی نہیں ہوتی - انکا فل اپ نہیں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس پالیسی پر عمل نہیں ہوتا ہے -

†[] Transliteration in Arabic Script.

میں وزیر ویلفیئر سے زوردار اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو ۴۵ ہزار ویکینسیز خالی ہیں انکو وہ جلدی سے جلدی فل اپ کرنے کی کوشش کریں - اسکے علاوہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایٹروسٹیز کی جو بات چل رہی ہے - ہم یہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں - کہ پورے ملک میں اور ملک کے ہر حصے میں جو ہریجن بھائیوں اور بہنوں پر ایٹروسٹیز ہوتی جا رہی ہے - مگر اسکے باوجود حکومت اس بارے میں ہمیشہ ناکام رہی ہے - حکومت کو چاہئے کہ وہ ان ایٹروسیز کو روکے - ان لوگوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں - انکو روکے- لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ایٹروسٹیز کو ختم کیا جائے - میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ان سب باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ہائی پاور نیشنل کمیشن فار شیڈولڈ کاسٹ اور شیڈولڈ ٹرائبس کے تعلق سے ہمارے دستور میں ترمیم لیکر آئی ہے - اور اس ترمیم کے ذریعے ضمانت دی جا رہی ہے - کہ شیڈولڈ کاسٹ اور شیڈولڈ ٹرائبس بھائیوں کیلئے کمیشن قائم کیا جائیگا- اور اس کمیشن کو اختیارات دیئے گئے ہیں - مکمل حقوق دیئے گئے ہیں- انکے تعلق سے جو شکایتیں ہیں ان شکایتوں کو دور کریں - اور ان حقوق کو موثر طریقے پر عمل آوری کریں - مجھے پورا یقین ہے کہ کمیشن اس سلسلے میں کام کریگا اور جس مقصد کو سامنے رکھکر یہ ترمیم کی جا رہی ہے - اسکی تکمیل ہوگی - شکریہ -]

†[] Transliteration in Arabic Script.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मुझे आपने इस संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं।

महोदय, जहां तक इस देश में वर्णों की बात है, हमने जो विभाजन किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र का, वह मैं नहीं मानता कि अवैज्ञानिक था। बल्कि उसके पीछे हमारी यह धारणा थी कि समाज के सभी लोग परस्पर मिलकर एक ऐसी सनातन व्यवस्था की स्थापना करें जो सारी विश्व मानवता के लिये प्रेरणा का प्रतीक हो। लेकिन इसमें जहां हरिजनों और आदिवासियों को अस्पृश्य समाज में गलित गहरित पशुओं से बदतर जिंदगी जीने वाला माना गया वहीं उन्हें संविधान के मौलिक अधिकारों से भी वंचित करने की कोशिश हुई। बहुत से ऐसे लोगों ने जो अधिकार सुख की मादकता में झूम रहे थे, उन्होंने इन विवश, निर्बल, दबे हुए, पिछड़े हुए अंत्यज और दबाव से कसे हुए पददलित लोगों को दबाने के लिये कुछ भी नहीं उठा रखा। आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चुनाव क्षेत्र फतेहपुर में अब तक एक दर्जन से अधिक ऐसे हत्काण्ड हो चुके हैं जिन में हरिजन महिलाओं की इज्जत लूटी गई है, जिनमें हरिजन लोगों को कुचलकर मार डाला गया है और यह सब सवर्णों ने किया है। हरिजन महिलाओं को अपनी वासनाजन्य संतुष्टि के लिये बड़ी जाति के लोगों ने उसके पति को जिंदा जला दिया। आज भी प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में यह सब हो रहा है और यहां यह विधेयक ला रहे हैं तो यह हास्यास्पद लगता है। एक ओर हम इस महान सदन में कानून बना रहे हैं हरिजनों के लिये, और इसके लिये संविधान में संशोधन कर रहे हैं और दूसरी ओर यह लाज शर्म जहां लज्जा भी लज्जित हो जाती है, उस स्थिति में प्रधानमंत्री के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार हरिजनों पर हो रहे हैं वे असहनीय हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी देश स्वतंत्र हुआ। गांधी जी ने हरिजनों के उदार की बात की तुलसी दास जी ने कहा कि :

जाकि प्रीति अति वहीं सकल नचन रोमावल ठाड़ा।

जो हरिजन है, हरि कोई भजे सो हरि के होई।

जो भगवान को पूर्ण समर्पित होता है वही हरिजन होता है। और उस हरिजन पर जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार आज के युग में हो रहा है यह शर्म की बात है। एक ओर हम अफ्रीका में रंगभेद विरोधी नीति का नेतृत्व करते हैं, और देशों को स्वतंत्र कराते हैं जहां अफ्रीका में अंत्यज माना जाता है काले रंग के लोगों को और दूसरी ओर अपने देश में ही अत्याचार हो रहे हैं। यह असहनीय है, मानवता के विपरीत है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं बनारस का रहने वाला हूं और बनारस, मिर्जापुर के जंगलों में जो आदिवासी और हरिजन रहते हैं उनको जमीन के पट्टे दिये गये कि जिस जमीन पर वे रहते हैं या खेती करते हैं उसके मालिकाना हक उन्हें प्राप्त हों लेकिन बहुत से जमींदार लोग, एक जाति विशेष के लोग हमारे नवगढ़ के जंगलों में सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिए हैं और वन विभाग—माननीय पासवान जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात नोट करिए, अगर हरिजनों के प्रति हमदर्दी है तो इस काम को करिए, नोट करिए। बनारस के नवगढ़ क्षेत्र में जगल विभाग की हजारों एकड़ जमीन पर नाजायज कब्जा सवर्ण लोगों ने और विशेषत: आपके प्रधान मंत्री की जाति विशेष के लोगों ने कर लिया है और दूसरी ओर जो आदिवासी और हरिजन झोपड़ियां लगाकर वहां रहते हैं वे सिसकते हैं। अपने बच्चों को दूध में मिलाकर गुड़ आटे में दूध मिलाकर या आटे में गुड़ मिलाकर दूध की जगह पिलाते हैं। हमारी सरकार ने उनको झोपड़ी का या जिस जमीन पर वे काबिज हैं उस पर रहने का अधिकार उन्हें दिया लेकिन आज तक उन्हें वह अधिकार नहीं मिला। वे अपने अधिकार से वंचित हैं और वन के रेंजर उन्हें उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाते रहते है।

मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप जो यह कांस्टीटयूशन 68 अमेंडमेंट लाए हैं इसमें जो हमारे बनारस के नजदीक के आजमगढ़ के विधायक जो कभी हमारे दल के महामंत्री थी भाई रामधन, उनको आप कैबिनेट की जगह प्रोवाइड नहीं कर पाये—और सबको संतुष्ट करने की नीति आपके प्रधान मंत्री की है—तो उनको आपने चेयरमैन घोषित कर दिया है, उनको संतुष्ट करने के लिए यह विधेयक संशोधन का लाए हैं। इसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए इतनी जल्दी में आप इसको पास कराना चाहते हैं... (समय की घंटी)

इस विधेयक के संबंध में मैं कुछ अपने सुझाव रखना चाहता हूं। इसमें जो सबसे पहला सुझाव है कि आपने जो कहा है कि "संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे" तो इसमें कोई गाइड लाइन आपने नहीं दी है। गाइड लाइन आपकी क्या है जो यह संशोधन आप ला रहे हैं इसमें दिशा निर्देशक सिद्धांत कोई आपने बनाए हैं, जो आपने घोषित कर दिया कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा... (समय की घंटी) तो इसकी गाइड लाइन क्या है, विस्तार में यह बताने की कृपा करें।

दूसरा उपसभाध्यक्ष जी, पांचवें प्वाइंट में यह कहा गया है कि आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया विषय में भाग लेना और सलाह देना तथा अन्य सर्वे और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। इसमें सामाजिक आर्थिक विकास की आपने बात की है। सामाजिक विकास में उन्हें समाज में मान्यता देने की बात है। लेकिन इकनामिक राइट आप उन्हें क्या दे रहे हैं इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इस पर भी आप प्रकाश डालें कि आपका

[डा० रत्नाकर पांडेय]

इसके पीछे लक्ष्य क्या है और तीसरी चीज मैं मशीनरी की बात करूंगा । उसी में "सी" में कहा है--

"to present to the President, annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards."

बिना मशीनरी के क्या आप कुछ कर पाएंगे ? जल्दी से जल्दी एक उद्देश्य कि रामधन को आप अध्यक्ष बना दें इसके लिए आप यह लाए हैं । लेकिन इसके लिए मशीनरी आपकी क्या होगी इस संशोधन को कार्यान्वित करने के लिए ? आपने लोक सभा में अपनी स्पीच में कहा था कि 43 वर्षों में जो यह सरकार नहीं कर पाई हरिजनों के लिए--हमारी सरकार ने जो कुछ हरिजनों के लिए किया, जो कुछ आदिवासियों के लिए किया वैसा विश्व के जनतंत्र में दबे हुए, पिछड़े हुए व अंत्यज लोगों के लिए कोई नहीं कर सका । उसे आपने एक तरह से चैलेंज दिया है और आपकी सरकार कहती बहुत कुछ है, लेकिन करती कम है ।

इसलिए मैं चाहूंगा कि जो जिज्ञासायें मैंने उठाई हैं, उनका आप शमन करें और इसके साथ ही आर्थिक आधार पर भी जाति में भूख सबको लगती है, पीड़ा सब को होती है, जातियों के आधार पर तो चीजें हों और हरिजन और आदिवासियों का उत्थान जनतंत्र में हमारा पहला कमिटमेंट है और उनके साथ ही चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग से इतर का वर्ग हो, उनको आर्थिक आधार पर संतोष देने के लिए जब तक बड़े-बड़े कारखानों में काम करने वाले मजदूर जो हैं, (समय की घंटी), चाहे वह हरिजन हों या और कोई हों, चाहे बंधुआ मजदूर के रूप में खेती करने वाले लोग हों, इनको जब तक अठारह एकड़ सीलिंग एक्ट जो हमने बनाया है, उसी तरह जितना भी धन, वैभव इस देश में है, एक सीमा से अधिक कोई नहीं रख सकता और उस सब का वितरण करें और उनका मालिक आप हरिजन और आदिवासियों को बनायें, तब जाकर आपका यह लक्ष्य पूरा होगा, अन्यथा बहुत से विधेयक और संशोधन आप सदन में तीन महीने में लाये हैं, उसी में से एक यह भी होगा, जिसका कोई परिणाम नहीं होगा ।

विषमता की पीड़ा से त्रस्त हो रहा,
स्पंदित विश्व महान,
वही सुख-दुख विकास का सत्य,
वही भूमा का मधुमय दान,
जिसे तुम समझे हो अभिशाप,
जगत की ज्वालाओं का मूल,
ईश का वह रहस्य वरदान,
कभी मत जाओ इसको भूल ।

धन्यवाद ।

*SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I congratulate this Government for having brought this Constitution Amendment Bill for the welfare of the Schedule Castes and Scheduled Tribes, at a time when the nation is celebrating the centenary year of the architect of the Indian Constitution, Dr. Ambedkar, who devoted his life to the service of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the downtrodden. I also congratulate the Hon'ble Minister for this commandable step wherein a sincere move has been made for realising the dreams of Dr. Ambedkar. I am also happy to speak in my mother-tongue, Tamil, one of the oldest and richest languages of the world.

This amendment seeks to provide more powers to the National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Commission has been empowered to regulate its own procedure and to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Commission also gets the right to examine specific complaints with respect to deprivation of rights and safeguards of SC & ST. Above all, the Commission will have the right to oversee the effective implementation of the welfare and socio-economic development programmes of SC

*English translation of the original speech in Tamil.

& ST people. It has now been made mandatory on the part of the Commission to submit the report to the President annually who shall cause it to be laid before each House of Parliament. It has been made incumbent on the Central and State Governments to apprise the Commission on the measures taken for the protection and welfare of SC & ST people. Therefore, I welcome this Bill.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I feel it my bounden duty and right to put forth my views on the socio-economic problems of SC & ST people. Because, my party, the D.M.K. has been struggling for decades for the upliftment of these oppressed people. Personally I have taken lot of interests to help solve the problems of this unfortunate lot. Sir, I would be failing in my duty if I do not recall the services rendered to these oppressed classes by the late Thanthai Periyar. He founded a party in the pre-independent India known as 'Justice Party' which later came to be known as Dravidar Kazhagam—D.K. Both, the D.K. and the D.M.K. parties resolved to work for the liberation and welfare of the under privileged. So, these two parties were branded as the parties of the Scheduled Castes & Scheduled Tribes and the downtrodden. But we forged ahead led by Peraringnar Anna unmindful of the adjectives used for us. That is why you don't find communal violence and casteism in Tamil Nadu to the degree it wrecks havoc in other parts of the country. *(Time bell rings)*

Mr. Vice-Chairman, Sir, please allow me some more time-Legislation alone cannot create the zeal which is required to bring about social change and improve the lot of these people. The society has an important role to play in this matter. The society needs to be educated and enlightened about the humanitarian aspects involved. I am constrained to say all this because, there is an amendment Bill before us. This makes me peel off from my memory certain realities of the issue. Even now, we have a Commissioner for SC & ST. Every year he also submits a report. But I can't say that this report will reflect the total picture of the atrocities committed on SC & ST people. Even this report is censored at some stage. But the agonising fact is that the Government have not taken any serious note of these reports till now. It has only been an eye-wash. I would like to remind the Hon'ble Minister of a forgotten fact. A Committee was constituted under the Chairmanship of Shri L. Elayaperumal to investigate about the atrocities committed on SC & ST people and report the remedial measures to be taken. Shri Elayaperumal was a Member of Parliament then. The very name of the Committee was Elayaperumal Committee. He was in Congress party for a long time. But later, after quitting Congress for reasons well known to him, he said that the Government did not give him a helping hand in carrying out his work. He lamented that the typewriter was taken away from this office and he was not provided even with the minimum necessities needed for the study. Not only this, he further said that the then Government did not accept even a few small recommendations. I hope my Hon'ble Congress friend Shri Naryanaswamy will not disagree with me. Appointment of Commissions and Committees have remained only on paper. They have done only lip service. With a heavy heart I say, no sincere effort was ever made to even understand the problems of these people who have been crushed under the yoke of oppression and feudalism.

So, this National Commission should not become another paper tiger. The implementation should take place in the same spirit as that we have in passing this Bill. Because of the past experience, I warn this Government to take all necessary steps for the proper and total implementation of this legislation.

Sir, even today there are crores of SC & ST people unemployed and resourceless, who live like mosquitoes

[Shri J. S. Raju]

in small huts. They have to band double to enter those huts because the huts are too small. They can't even stretch their limbs to relax. With a paralysing sense of calamity, I say, that most women don't have enough clothes even to cover their body. Such is the condition even today. Only fortunate people like us have three meals a day. But crores of SC & ST people do not have even one meal per day. We have varities in our daily food like rice, sambar, rasam, curd, subzi, sweet and so on. But those unfortunate people have only gruel to fill their stomach. This is their plight today. There are lakhs of people belonging to these communities, who do not have any means of livelihood because they don't have job, don't have business, don't have money, don't have land they live in misery.

Here I am reminded of the special drive to recruit SC & ST People to fill about 45,000 reserved vacancies. But what is the outcome? Still a large number of vacancies remain unfilled. An Hon'ble Member said here that a person belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes should become the Vice-President of our country. Even his thought could reach only the post of Vice-President. He could not even think of a person belonging to SC & ST becoming the President. There was a time when a person of SC/ST origin could have become the President. But the opportunity was denied. It is a fact.

Here I wish to mention that the Government of Tamil Nadu under the leadership of Dr. Kalaignar are taking a number of steps for the welfare of the SC & ST people. Last year alone the Tamil Nadu Government have constructed 45,000 houses for SC & ST people.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please conclude.

SHRI J. S. RAJU: I am just concluding.

This year, fund has been allocated for constructing 47,000 houses for them. If a Scheduled Caste girl has studied upto 8th class, a grant of Rs. 5,000 is given for her marriage. If a Scheduled Tribe girl has studied upto 5th class, she gets the grant. Free education for SC & ST students is offered even at college level. (Time bell ring).

I will conclude in a few minutes. Sir, I have a pertinent point to make. The Private Sector borrows heavily from the Government and public sector banks. But they refuse to reserve vacancies for SC/ST people in job opportunities. I would like to tell my Hon'ble Congress friends. In reply to a question, the former Minister Shri P. Chidambaram said that the Private Sector can not be compelled to reserve job opportunities for SC/ST people. But I strongly urge upon the Government to bring about a legislation making it mandatory on the part of the Private Sector to reserve vacancies for SC/ST.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please conclude. You have taken double the time.

SHRI J. S. RAJU: I will conclude in two minutes.

There are big landlords even today who have hundreds of acres of benami lands in the names of pet animals, labourers and relatives. To put an end to this, the Tamil Nadu Government sent a proposal to the previous Congress Government. But that Government did not look into it. I hope this Government will retrieve the file and consider it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): No more, Please conclude now.

SHRI J. S. RAJU: Yes, I will just conclude.

The Tamil Nadu Government headed by Dr. Kalaignar passed a law enabling any person of any caste—be

it Scheduled Caste or Scheduled Tribe—to be appointed as Archaga, if he is trained in religious rites. But it was struck down by the Supreme Court. The Supreme Court struck it down not because the Act violated any code of human conduct. But the Court said that the Act was against the Codes of Agamas. The Supreme Court did not take into account the humanitarian dimensions of the issue. So, I call upon this Government to enact a law to that effect. With these words I conclude.

चौधरी हरि सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय श्रम मंत्री रामविलास पासवान जी ने संविधान संशोधन विधेयक माननीय सदन के सामने रखा है, आपको स्मरण होगा कि जबसे यह सरकार आई है, तब से इस सरकार के प्रधानमंत्री और श्री पासवान जी ने जगह-जगह, एक नहीं अनेक जगहों पर अपने भाषणों में कहा कि हम शेडयूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के उत्थान के लिए बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने वाले हैं और एक कमीशन बनाने वाले हैं। इस तरह की घोषणा करते रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कोई नई चीज, कोई नया क्रांतिकारी कदम, प्रोग्राम और कोई बहुत अच्छा फैसला यह सरकार लेने वाली है, हम उसका इन्तजार करते रहे। लेकिन आज जब मैंने इस संशोधन विधेयक को पढ़ा तो मालूम पड़ा—खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़े दर्शन छोटे, खोटे और छोटे भी।

तो मान्यवर, इस प्रकार बड़े ढोल पीट रहे थे क्रांतिकारी कदम के, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं निकला। सिर्फ एक कमिश्नर के स्थान पर कमीशन चेयरपरसन का संशोधन लाए। केवल उनका साईन-बोर्ड बदल जाएगा। वरना आप बता दें कि आपने कौन सी स्पेशल मशीन दी इस कानून के पालन के लिए जो पिटी-पिटाई मशीनरी थी—वही पुलिस, वही कर्मचारी, वही रिपोर्ट, वही थाना, वहां इन्क्वायरी चलती रहेगी, पहले भी चली है। तो जैसा इंसाफ पहले मिलता रहा वह अब भी वैसा ही मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे मंत्री जी कि कौन से ऐसे क्रांतिकारी कदम, जिसको आप कहते आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने तो अपने पहले भाषण में भी इसका जिक्र किया और कहा था कि अगर भूखा इंसान रहता है तो भूचाल आ जाता है, झोंपड़ी में चुप नहीं बैठेगा लेकिन झोंपड़ी के लिए क्या लाए? मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल एक आई-वाश है। यह जो सरकार है, इसके दिल में शैडयूल्ड कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। इनका एंटी माइंड है। सिर्फ स्लोगन लगाने, भाषण देने, उद्देश्य बताते फिरना यही एक कार्य है। बोफोर्स का किस्सा मैं नहीं कहना चाहता, उससे इस बिल का कोई ताल्लुक भी नहीं है। बोफोर्स के लिए कहते हैं, बहुत ढोल पीट रहे हैं लेकिन बोफोर्स के कागज अभी तक पेश ही नहीं किए, स्वीडन से रिपोर्ट आ गई है। तो कहना यह है कि यह जो सरकार है, इसकी जो कथन करनी है, उसमें अन्तर है। एक कार्यक्रम है, वह सिर्फ मुनादी करना है क्योंकि यह सरकार कोई काम करना नहीं चाहती है और न यह कोई काम कर पाएगी क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यह सरकार जो है यह बिल्कुल सरकस की मैम की तरह है। आपने देखा होगा कि सरकस में एक मैम छतरी लिए होती है तार पर वह न चलती है, न डांस करती है, न दौड़ती है, बल्कि छोटी सी तार की दूरी को पार करने के लिए बैलेंस करती रहती है और उसके पास तार का छोटा सा छाता होता है। अगर वह गिर जाए तो न छाता उसको बचा सकता है, न टांग टूटने से रोक सकता है। तो यही गति इस सरकार की है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार को थोड़ी दूरी को पार करने के लिए सरकस की मैम की तरह बैलेंस करके यह

[चौधरी हरि सिंह]

दूरी पार करने में ही लगी हुई है ...(समय की घंटी)...मान्यवर, यह ठीक है, समय बहुत कम है। मुझे बड़ी खुशी होती अगर पासवान जी, जो बड़े कार्यकारी आदमी हैं, अगर सरकार में कुछ करवा सकते हैं तो आप कुछ बाहिर और और नहीं करवा सकते हों तो यह मुनादी करना छोड़ दीजिये ...(व्यवधान)...

श्री राम विलास पासवान: उपसभाध्यक्ष जी, तमाम साथियों के विचार मैं सुन रहा हूं बहुत गौर से। मैं चाहता हूं कि यह डिबेट बहुत ही फ्रूटफुल हो। इसलिए जोगी जी भी जब बोल रहे थे तो मैंने उनसे भी कहा और अब आपसे भी कहूंगा कि सरकार यह जानना चाहती है कि जो संशोधन या विधेयक हम लाए हैं, मैं समझ रहा हूं कि यह विधेयक बहुत अच्छा है। यदि आपको लग रहा है कि इसमें कुछ त्रुटि है, कुछ जोड़ना चाहिए तो आप कुछ सुझाव दीजिए कि इसमें क्या जोड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत से साथी बोल रहे हैं कि इसमें यह नहीं है, कुछ नहीं है, कमिश्नर की रिपोर्ट के बराबर है। क्या करना चाहिए हमें इसके लिए, अगर आप इनका सुझाव दें तो हम आपके बड़े अनुग्रहीत होंगे? ...(व्यवधान)... मान्यवर, मैं इसी संदर्भ में सुझाव भी देना चाहता हूं कि इसके लिए हमको एक अलग से विशेष कार्टस का समावेश हमारे संविधान मे भी किया जाना चाहिए था, अत्याचार करने वाले डरते हैं सिर्फ कार्यवाही से।

आखिर में बहुत महत्वपूर्ण मसला माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि एक लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी है मंसूरी (देहरादून) में, वहां कुछ हरिजन और दलित लोग वहां के स्टोर में और मैस में नौकर थे। वहां का एक जो डायरेक्टर है, वह हर समय शराब पीए रहता है। उसने एक के बाद एक हरिजन कर्मचारी को निकाल दिया, उनके घर का सामान फिकवा दिया। 12-12, 13-13, 14-14, या 15-15 साल के जो पक्के मुलाजिम थे, उनको एक कलम की नोक से निकाल दिया। मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि मुरादाबाद के अंदर हरिजनों की सारी जमीनों को छीन लिया गया, उनको बेघरबार कर दिया गया।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, पासवान जी ने अपनी स्पीच में कहा और इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, वे कह रहे थे कि कूड़ा सर पर उठाना, यह कलंक है और समाज का एक हिस्सा इससे बड़ा त्रस्त है। इसे समाप्त करने के लिए बहुत-से कानून भी बने हैं। लेकिन अमल में नहीं आ पाए। पासवान जी ने जब इसको उठाया तो मुझे लगा कि उनके दिल में इसे समाप्त करने का निश्चय है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार कूड़ा उठाना, व उसे बन्द कराने की बात ही छोड़ दे, तो अच्छी है। इनकी सरकार जब से आई है नगर पालिका में, म्युनिसिपल में, टाउन एरिया में महतरों और चतुर्थ क्लास के जो अन्य कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाहें ही नहीं मिली। महोदय, सारे प्रदेश के अंदर उनको तनख्वाह नहीं मिली है। उनके जी.पी.एफ. फंड का जो रुपया रखा था, वह खा गए, उनकी लड़कियों की शादी के लिए जो रुपया जमा था वह भी उनका नहीं मिल पाया। तो आज यह हालत है। अगर आप गौर करते तो आज तक जो योजनाएं चल रही थीं, राजीव गांधी की सरकार ने जो योजनाएं और प्लान चलाए थे, उन्हीं पर अमल करना पर्याप्त होता लेकिन वह योजनाएं स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सरकार की किसी स्कीम का पालन नहीं किया जा रहा है। जो पट्टे मिले थे, वह छीन लिए। अगर आप उन्हीं स्कीमों पर अमल करते तो अच्छा होता। आपके पास कुछ करने-धरने का नहीं है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हरिजनों और आदिवासियों की समस्या सुलझानी है तो उनके बीच जाकर

उनकी बात को सुनना चाहिए और इनके विषय में कमीशन की जो भी सिफारिशें आएं उनका पालन अवश्य होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, no one can object to this Bill except that there is no promise that this Bill is going to make a fundamental difference to the fundamental problem because we have witnessed ever since the National Front Government came to power, an increase in the atrocities by the feudal classes in various parts of the country. Maybe the feudal classes feel that their Government has come to power. I do not know what the nexus is. But there is no doubt that even from the Prime Minister's own constituency we have been getting reports which are very alarming in nature. It is an unfortunate, I shall say, blot on the Hindu community that the creation and the sanction have existed for centuries for a class or caste called 'untouchables', now since 1935 called 'Scheduled Castes'. This has no basis in our religion. In fact, the whole caste system has been thoroughly misunderstood and exploited and twisted. The word 'varna vyavastha', otherwise called.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): 'chatur varna'.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: 'Chatur varna'. This basis can be found in a debate between two great 'rishis', namely Brigu and Bharadwaj. Both these 'rishis' debated the question of dividing the society in this manner and it was made quite clear in that that it had nothing to do with birth and it had only to do with the occupation one took in one's life. And since there was dignity of labour, there was nothing considered above and below although the pursuit of education, power, money and so on divided people. The original conception did not perceive this as connected with birth. But somehow it got connected with birth and then it led to the extremism that took place and today we are faced with this situation. But compared to other societies in the world, we are more fortunate in the sense that if we really decide to integrate our society, it will be quite easy. I know in the United States, the status of the Negro is often compared with the status of the Scheduled Castes in our country. But in the United States, it is very difficult to integrate that society whereas in India, if there is no difference in physical look, in manners and so on, between the Scheduled Castes and the rest of the castes, if we decide to abolish castes, if we are able to achieve it, then integration will be quite easy. Now I feel that the Government has moved in a certain direction and I do not know where it will land. The Government decided to extend reservations to Buddhists and I am afraid it will not be possible to stop this extension to Christians and other communities, other religious communities, who claim that they have come from the Scheduled Castes But there is a terrific propaganda in our country against the reservation concept itself and this has to be met rather than Doordarshan projecting the Prime Minister day in and day out. They should concentrate more on these things to counter this propaganda. After all, this reservation is for what? In the whole private sector, there is no reservation. There is no reservation in defence, even in public sector and in top positions also, there is no reservation. Reservation is confined to a very small section of society and even if the reservation is removed, the society is not going to benefit, at least those sections of society which think that they will be benefited. Therefore, what we need is that the Government machinery, particularly the mass media, should be used to educate people on this reservation. This reservation is not a gift by the upper caste to the lower caste. It is an outcome of the Pune Pact that was signed between Dr. B. R. Ambedkar and Madan Mohan Malviya after Mahatma Gandhi's fast-

[Shri Subramanian Swamy]

fast-unto -death was broken and indeed, a great national sacrifice was done by Dr. Ambedkar when he voluntarily gave up the separate electorate system which the British Government offered to him.... (*Interruptions*) ...And it would have definitely led to another partition, had Dr. Ambedkar not made this great national sacrifice! So this reservation comes out of that Pune Pact. This should be propagated. Somehow, an impression has gone round in this country that this is a gift from the upper caste to the lower caste. Not at all. This is the outcome of a contract and this contract cannot be unilaterally terminated. This is what has to be propogated. Of course, I do not think reservation is needed for Mr. Paswan's children. So some of the leading Scheduled Caste leaders should make an example of voluntarily sacrificing the benefit of reservation so that other communities, particularly the Balmiki community which does not get any benefit from the reservation, should also get reservation and those anomalies should be removed.

With these words, knowing that with this Government there is no hope of further improvement, but as conceptually it is not something that we can oppose, therefore I support the Bill. Thank you.

श्री राम अवधेश सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। प्रतिपक्ष के लोगों ने आंख मूंदकर एक तरफा बिल की शिकायत करने की कोशिश की। मैं यह मानता हूं कि जितने दूर तक जाना है हमको अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लोग उनको समाज में बराबरी दिलाने के लिये उस दूर तक यह बिल नहीं जायेगा, फिर भी उस दिशा में एक प्रशंसनीय प्रयास है। अभी तक जो स्थिति थी वह यह थी कि चाहे जो भी प्रावधान हो उसका बहुत चालाकी से उपयोग सत्ता में बैठे हुये शासक वर्ग के लोग किया करते थे। शासक वर्ग के लोग बहुत चालाकी से जो पद रिजर्व होते थे उनके खिलाफ में एक शब्द लिखते थे—सूटेबिल कैंडिडेट इज नॉट एवलेबिल और यह कह करके सारा का सारा मामला गफलत में डालते जाते थे महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्लास-एक, क्लास-दो में हम समझ सकते हैं कि शड्यूल्ड कास्टस, शड्यूल्ड ट्राईब्स में जो कि व्यक्ति इंजीनियरिंग में था और किसी में नहीं मिल सकते लेकिन क्लास-3, क्लास-4 में जो बिल्कुल चपरासी, प्योन की जगह है उसमें भी इनको जितना रिजर्वेशन है उतना नहीं मिला। 14 परसेंट अगर शेड्यूल्ड कास्टस है तो सिर्फ 7 या 8 परसेंट को भी पूरा नहीं मिलता है। यह इस बात का सबूत है कि हरिजन आदिवासियों के खिलाफ उनकी बेइमानी चल रही है, जो शासक वर्ग है जानबूझ कर चला रहा है। जो प्रावधान है इस संशोधन में उससे एक कदम आगे बढ़ा जा सकता है। वहां सिविल कोर्ट की जो पावर दी गयी है कि उसम अगर कोई अफसर बेइमानी करेगा और उसकी रिपोर्ट आयेगी इंक्वायरी में तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। यह एक सार्थक कदम है। यह बिल में एक सार्थक कार्रवाई है। यह जो सब-क्लास 8 है यह सार्थक है। जो लास्ट में क्लास है 9वीं क्लाज के बाद मूल संविधान की धारा 338 की सब-क्लाज 3 है। इसमें लिखा है कि यह सब-क्लाज 10 पढ़ा जायेगा। इस विषय में मुझे कहना है कि 338 धारा की उप-धारा 3 यथावत रह जायेगी पर 10 उपधारा पढ़ा जायेगा। मैं यह कहना चाहता हूं सरकार से, भारत के प्रधान मंत्री से, कल्याण मंत्री से जोरदार ढंग से कि आपकी मंशा क्या है? आप क्या चाहते हैं? मौजूदा प्रधान मंत्री का बयान आप लोगों ने रेडियो पर, टी.वी. पर और अखबारों में हर हफ्ते सुना होगा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जायेगी लेकिन कब की जायेगी? (**व्यवधान**)

डा० रत्नाकर पाण्डेय: जब आप इस धरती पर नहीं रहेंगे तब इसे लागू किया जायेगा।

श्री राम अवधेश सिंह : हमारी सरकार आयेगी। आप घबरा क्यों रहे हैं हमारी सरकार बनने वाली है। **(व्यवधान)** मैं संक्षेप में बिना भूमिका बांधे अपनी बात कह रहा हूं। आप सुनिये। **(व्यवधान)** 338 धारा की उपधारा 3 में यह प्रावधान है कि शेडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स के रिफरेंस में अगर कोई बैकवर्ड क्लास समझा जाता है **(व्यवधान)** मैं स्टेट रिकार्ड में लाना चाहता हूं उसमें एंग्लो इंडियन है। उसमें लिखा है:

"*In this article*, references to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be construed as including references to such other backward classes as the President may, on receipt of the report of the Commission appointed under clause (1) of article 340, by order specify and also to the Anglo-Indian Community."

इसमें लिखा है सरकार को अगर लागू करना होता तो सरकार अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिख चुकी है, प्रेजीडेंट अपने एड्रैस में भी दो बार लगातार उल्लेख कर चुके हैं, अगर उसका मन साफ है बैकवर्ड क्लास के प्रति और मंडल कमीशन लागू करना होता तो लागू करके इसी के साथ संशोधन ले आते। तो उसको लागू करके उसको भी इसी संविधान संशोधन के साथ जोड़ देते। लेकिन 52 फीसदी लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है और सरकार दगाबाजी कर रही है। चुनावी घोषणा-पत्र में जो वायदा किया गया था उससे मुकर रही है। मैं कल्याण मंत्री से अर्ज करना चाहता हूं और उनके खिलाफ एक शब्द भी इस्तेमाल करना चाहता हूं और वह यह है कि वे किस हैसियत से बोलते रहे हैं कि चार-पांच महीने में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करेंगे। हर हफ्ते ये कहते रहे हैं कि हम इसको जल्दी लागू करेंगे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट प्रेजीडेन्ट के पास है। उसको ये स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। आर्टिकल 338 में प्रावधान है कि शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज एण्ड एंग्लो इंडियन, इन सब का एक साथ हो सकता था। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया। इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है।

श्री राम विलास पासवान: आपने ऐसा कैसे समझ लिया कि सरकार नहीं लागू कर रही है?

श्री राम अवधेश सिंह: यह संशोधन इसका सबूत है।

श्री राम विलास पासवान: मंडल आयोग के लिए न तो किसी ऐसे संशोधन की आवश्यकता है, न पार्लियामेंट में आने की आवश्यकता है। यह एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से हो जाएगा।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: श्रीमन, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। इसी सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मैंने पूछा था तो प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि जल्दी लागू करेंगे। जब मैंने कहा टाइम बौन्ड कराइये तो उन्होंने कहा कि इसी वर्ष में लागू करेंगे। मैं कल्याण मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उसपर कार्यवाही शुरू कर दी है?

श्री राम अवधेश सिंह: इन्होंने कहा था कि इसी सत्र में लागू करेंगे।

श्री राम विलास पासवान: मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रधान मंत्री ने इसी जगह कहा था, जब आपने पूछा था कि कमेटी के चेयरमैन क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कल्याण मंत्री से कहना चाहूंगा कि वह सीधे मंडल कमीशन की रिपोर्ट कैबिनेट के पास भेज दें और केबिनट उस पर निर्णय ले लेगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कल्याण मंत्रालय से रिपोर्ट केबिनट के पास चली गई है। और केबिनट उस पर जल्दी ही निर्णय ले लेगा। कल दूसरे

[श्री राम विलास पासवान]

सदन में प्रधान मंत्री ने इसकी घोषणा भी की है .... (व्यवधान)।

श्री राम अवधेश सिंह : इस संशोधन से संबंधित हां धारा 338 की उप-धारा 3 को आत्मा है। उसमें यही है कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए एक साथ काम होना चाहिए। जब आर्टिकल 340 के अनुसार रिपोर्ट सरकार के पास है और सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया है तो इस संशोधन के साथ इसको क्यों नहीं लाये? आप कहते हैं कि इसके लिए हाउस में आने की जरूरत नहीं है। एक्जीक्यूटिव आर्डर से संविधान की धारा 77 के अंदर लागू किया जा सकता है बाई दि अपूबल आफ दि कैबिनट। क्यों नहीं हुआ अब तक? यह क्या बात है। आप संशोधन ला रहे हैं। उसमें हमारे लिये कमिश्नर बहाल हो सकता था। आप अपने लिये बहाल कर रहे हैं तो एक ही संशोधन में बैकवर्ड क्लासेज के लिये भी बहाल हो जाता। इसके लिये फिर आपको एक संशोधन लाना पड़ेगा। मैं यह इसलिये कह रहा हूं उनके साथ यह जुड़ा हुआ है और उसमें बैकवर्ड क्लास लिखा रहता है। तो डिमांड संख्या 79 जो है, इनके बजट में, उसमें बैकवर्ड क्लास के लिये एक भी पैसा सेक्शन नहीं है और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये 645 करोड़ रुपये हैं। उसमें अदर्स बैकवर्ड क्लासेज के लिये एक नया पैसे का भी प्रावधान नहीं है। इससे लगता है कि यह सरकार धोखा दे रही है। अगर मंडल कमीशन यह सरकार लागू करेगी तो उसमें खर्चे का प्रावधान क्यों नहीं किया। इसलिये लगता है कि मंडल कमीशन को लागू करने की बात धोखा है। मैं आपसे जवाब चाहता हूं कंक्रीट कि कै दिनों में, कै महीनों में लागू करेंगे, टाइम बाउंड बताइये।

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

उपसभाध्यक्ष (श्री एम. ए. बेबी) आप बैठ जाइये।

*SHRI RAMSINH RATHWA (Gujarat): Mr. Vice-Chairman Sir, I rise to support the Constitution Amendment Bill brought by the Hon'ble Minister, I would like to place my views in this regard on this occasion.

अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि अगर कोई औरत खूबसूरत होती है तो उसे मेकअप की जरूरत नहीं होती है।

Sir, Baba Saheb Ambedkar has provided us with a good and comprehensive Constitution. It has been clearly provided for in the Constitution as to what should be done for the upliftment of the people. Therefore, to my mind, there is absolutely no necessity for tampering with the Constitution. It may be that perhaps the Hon'ble Minister wants to provide for some of his party colleagues. It has been provided for in the bill that there shall be a Chairman, a Vice-Chairman and some Secretaries. From this it would appear that a deliberate attempt is being made to accommodate some disgruntled politicians by providing them safe berths in such Commissions. As there was already a Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes which had sufficient powers to look into the problems of these people, this new Commission would *prima facie* appear superfluous. In spite of our best efforts not much development of these communities has taken place because the Government machinery remains the same, the men running the machinery would also continue to remain the same. By merely placing a few more persons over their heads no real progress is going to take place. Governments of all ideologies had come to power successively in various States. Still the conditions of Harijans and Adivasis in rural areas as well as

*English translation of original apeach delivered in Gujarati.

urban slum dwellers continue to be the same as before. As the saying goes 'this is the same old wine in a new bottle with a new label'. Frankly speaking the change of Government has not brought about any change in their conditions. If we could honestly implement the provisions in the Constitution this sort of amendment would not have become necessary at all. Therefore I would like to state emphatically that if we could honestly implement hte provisions enshrined in the Constitution framed by Baba Saheb, there would have been no necessity for bringing any amendment for the development of Harijans and Adivasis. As I understand the Head Quarters of this new Commission would certainly be situated in New Delhi. The officials of the Commission, living in Delhi, would not be able to understand the plight of the Adivasis living in small villages in Chhota Udaipur, Saputara, Ahwa in Gujarat and similar places in Orissa and Madhya Pradesh. You are no doubt, chalking out good programmes for the development of these people. But the people involved in the implementation of these programmes have no interest in the progress and development of these communities. After all you have to get the work done by these very same officials. Suppose you set up a Commission here. Then what will happen in the States. Now if you appoint an official in-charge of the State then what would happen to the district Now even if you appoint a district level officer then what happens at the Tahsil level. All these developmental programmes after all are meant for people in rural areas. It is regrettable that you have not made any provision for the people living in the far flung rural areas. People at the Tahsil level have been completely neglected. I strongly feel that you must have made ample provision for the people at the village level because the poor people in rural areas would never be able to take their complaints to New Delhi. The fact is that most of these people have never seen even their district head quarters. Governmental assistance such as loans for digging wells etc. meant for these people are actually being collected and pocketed by other influential people. I would like to mention just one instance, much to my regret. An Adivasi student goes to study in a college in the city. After five years of study he passes M.A. in first division. He becomes entitled to merit scholarship. A vacancy for the post of a lecturer arises in the college and this boy is eligible in all respects to fill the post.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A BABY): Please conclude.

श्री राम सिंह राठवा: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही पूरा करूंगा। लेकिन मेरा एक अर्ज है कि आदिवासियों और हरिजनों का जो शोषण होता है उस पर अगर थोड़ा सा मैंने ज्यादा बोल दिया तो इसमें मेरे ख्याल से किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मुझे याद है इसी हाउस में हम रात को दो बजे तक बैठे हैं और अगर 2-5 मिनट ज्यादा भी हो गए तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ बिगड़ने वाला है। प्लीज मुझे बोलने दीजिए।

SHRI RAMSINH RATHWA: He naturally wants to serve in the same college and he happens to be the only Adivasi candidate. He is called for the interview and inspite of the very successful interview he is told that he could not be selected as his performance in the interview was not good. Is it not a great injustic to this man? Nobody would justify this sort of malpractics, but the fact is that this is a common practice. Such brilliant Adivasi and Harijan youth are deliberately being sidelined on filmsy excuses. In many places, you will find, such brilliant young persons are being denied their legitimate jobs even in Government appointments. Even their Confidential Reports are being spoiled so that they may not get their due promotions. And not only that. Even the reports of those officials who are inclined to help the weaker Sections

[Shri Ram Sinh Ratwa]

are also being spoiled. The main reason trotted out for not filling the vacancies reserved for them is that suitable candidates are not available. Even when brilliant youngmen from these communities apply for jobs they are not selected on the ground of their alleged poor performance in the test and interview. The simple fact is that the people who conduct these tests and interviews have no sympathy for these people and therefore would not like to select them. Therefore I demand that the vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes be filled immediately.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please conclude.

SHRI RAMSINH RATHWA: I will conclude immeditely.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Your party agreed that each speaker from your side will not take more than five minutes. If you do not agree....

श्री राम सिंह राठवा: साहब, आप कहें तो बैठ जाऊं और घर पर जाकर सो जाऊं, और क्या करूं? अगर मुझे यहां भी बोलने का मौका नहीं दिया जाए, तो गांव में रहने वालों को कौन सुनेगा? ठीक है, आप कहते हैं, तो मैं बैठ जाता हूं। मैं आपका आदर भी करता हूं, आप जो कहते हैं, मानता भी हूं, लेकिन अगर मुझे बोलने ही नहीं दिया जाए, तो ठीक है, मैं बैठ जाता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): If you want to take more time, the other speakers from your side will not be called. If you say so, it is all right.

श्री राम सिंह राठवा: क्या फायदा है क्योंकि जब बोलते हैं, तो बार-बार टोकते हैं। आप जानते हैं कि इस हाऊस में मैं कभी ज्यादा बोला भी नहीं हूं और मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप ऐसी बातें बार-बार बोलूं और आपको मजबूर करूं कि आप मेरे सामने घंटी बजायें। मैं छोटे गांव से आता हूं और छोटे परिवार से आता हूं और छोटे लोगों के बारे में जब बोलना चाहता हूं, तो पार्टी की बात आ जाती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): We do not take into consideration whether a Member belongs to a poor family or a big family, etc. Please do not speak like that. The point is, time is allotted to every party and it is the responsibility of the party to allot time to its Members. Not from the Chair.

श्री राम सिंह राठवा: मैं मानता हूं इतने महत्वपूर्ण संशोधन के लिए अगर दो-तीन घंटे ही सरकार हमें देती है, तो इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है।

एक माननीय सदस्य: सरकार नहीं सदन।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): You please try to conclude and please be brief.

श्री राम सिंह राठवा: हां, सरकार नहीं सदन, मेरी गलती हो सकती है, लेकिन कम से कम हमें बोलने का मौका तो दिया जाए। Sir, I would not take much time of the House. You are interrupting me frequently and therefore I am going to conclude. But I must certainly say one thing. You had appointed many Commissions in the past for the welfare of children and women, you have made many amendments to the Constitution; but none of them has yet been effectively implemented. If you sincerely want to implement this amendment it will certainly achieve the purpose for which it is meant. On the other hand if the intention is to provide safe berths for your political colleagues this amendment would not serve any purpose. Thanking you once again Sir, I conclude.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Bill. I feel that it is a healthy sign that this Constitution (Sixty-eighth Amendment) Bill was passed without a whimper in the other House.

I congratulate the hon. Minister, Shri Ram Vilas Paswan, on the revolutionary, courageous and bold step he has taken in bringing forward this Bill. Sir, some persons have expressed doubts about the implementation of the Bill. I feel that a set of persons who are at the helm of affairs of the Government, they are sincere, serious and surely they will implement every provision that is in the Bill.

This country of ours is caste-ridden. Different castes are there and within castes there are various sub-castes. Among sub-castes there are sub-castes and stratification of the worst kind still prevails in the country. Previously, it was the high caste which was dominating the economic and political scene. Now in the changing situation it is the new breed high class people who are dominating the people. In this way the most-exploited people are being exploited by these high-class people.

I want to say here that it is not the land alone which is a major source of distress for these people. Even if land is given to them, it is not enough because along with that their economic position has to be improved. So, sufficient economic assistance must be given to the people so that they can stand on their own. I give one more example. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the hilly areas do not have sufficient land. They want to do piggery and poultry farming. They cannot do it unless subsidy is given to them. *(Interruptions)* I request the hon. Minister to kindly listen to my suggestion. My point is this, Suppose, there are five hilly areas. People do not have enough land to cultivate. They want to do piggery or poultry farming. For this I request that there should be some scheme for giving Central subsidy to these people so that they can do farming, and thereby improve their lot.

The other thing is, these Scheduled Castes and Scheduled Tribes people have got their own cottage industry. Maximum infrastructure should be created and opportunities provided to them so that they could improve their lot.

There is another point. Their lot cannot be improved unless some Bill is introduced to help them economically, politically and socially. Then there is the question of the backlog of unfilled vacancies. There are some bureaucrats—I am not saying all but some—who are not willing to fill up the quota of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. These reserved posts are given to persons other than the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. This should be taken care of.

The other point is, there is some land belonging to the Government. There is ceiling on land-holding also. This land should be distributed among genuine landless Scheduled Caste and Scheduled Tribe people.

I congratulate the hon. Minister for constituting this National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, giving it statutory powers. The Commission should aim at bringing the most exploited section of the country's population to the fold of mainstream, where they can get an opportunity to live on their own, without any caste and class constraint. In the last 40 years we have seen that many laws are enacted but due to lack of sincerity on the part of the previous regime these laws were not implemented properly. This Government is now in the hands of sincere people. They will surely implement these laws. As the previous Government did not implemented the laws enacted for the Scheduled Castes and

[Shrimati Bijoya Chakravarty]

Scheduled Tribes, there has been unrest in most parts of the country where these Scheduled Caste and Scheduled Tribe people live. This has also happened in the North Eastern region.

. This Bill has been introduced with a sincerity of purpose and with a sense of justice. I hope with the same sense of urgency and sincerity, the hon. Minister will implement the provisions of the Bill. I hope that the Commission will be able to create a situation where it will no more be necessary to make special provisions and to bring more laws for the protection of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. I feel that ensuring social justice in the true sense of the term is the supreme aim of the present Amendment Bill so that the age-old feeling of neglect and sense of deprivation and discrimination are completely eliminated from the minds of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

With these words, I support the Bill.

श्रीमती सत्या बहिन: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने जो अड़सठवें संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार आई है, तब से बहुत से हादसे, बहुत सी पीड़ाएं, बहुत ही तकलीफें उपहार के रूप में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिल चुकी हैं। मैं तो समझती हूं कि जब से राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी है, तब से ऐसी घटनाओं से अखबार भरे पड़े रहते हैं, रंगे पड़े रहते हैं और जब भी सदन में या बाहर कहीं इन पर हंगामा होता है तो सरकार की तरफ से एक बयान आ जाता है कि देश में आयोग की स्थापना होने जा रही है। अब जैसे आयोग एक बहुत बड़ी राहत की छतरी बनने जा रहा है। हम लोग भी आश्वस्त थे, लेकिन इस विधेयक को देखने पर यह मालूम हुआ कि इसमें केवल एक संगठन का स्वरूप है, जो बताया गया है, न तो कोई इसमें संकल्प है और न ही कोई दिशा-निदर्शन दी गई है कि हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों को किस तरह से रोका जाए।

मान्यवर, जब हम अनुसूचित जाति और जनजाति के मामलों पर विचार करते हैं तो बहुत से प्रश्न सामने आते हैं और वे सभी प्रश्न जवाब मांगते हैं सरकार से, देश से, देश को चलाने वालों से, व्यवस्था से और हम सभी लोगों से, जो कि इस समाज, इस वर्ग के प्रति उत्तरदायी हैं। अब वह मध्य प्रदेश के सलैया गांव के हरिजन महिलाओं को नंगा नचाने वाला मामला सामने है, जो कि पिछले कुछ महीने पहले की घटना है, वहां अनुसूचित जाति की महिलाओं को नंगा नचाया गया और सिर्फ इसलिए कि वे अनुसूचित जाति की महिलाएं थीं। मैंने खुद वहां जाकर देखा, मान्यवर, कि वहां पर एक-एक साल के बच्चे तक को घायल किया गया, एक हरिजन व्यक्ति को जान से मार दिया गया, पूरा गांव का गांव उजाड़ दिया गया और घर तोड़-फोड़ दिए गए। इसी तरह फ़तेहपुर की घटना तो जग-जाहिर है। वहां कोई गांव बकाया नहीं, चाहे इसे सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य हमारे प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, जो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं, उसी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, वहां कोई गांव ऐसा नहीं है, जहां रोज कोई नई कोई अत्याचार न होता हो। ... (**व्यवधान**) ....

SHRI V. GOPALSAMY: (Tamil Nadu): And not 'Pilot Rajiv Gandhi' ....You said, 'Raja Vishwanath Pratap Singh'. I say, 'Pilot Rajiv Gandhi'.

श्रीमती सत्या बहिन: आप तसल्ली से सुनिए, सच्चाई को सुनने का थोड़ा साहस रखिए। ....(**व्यवधान**)....

मान्यवर, अभी पिछले दिनों जब फ़तेहपुर की घटनाएं सामने आईं तो हमारे कल्याण मंत्री राम विलास पासवान जी ने मुझे इसी सदन में कहा था कि केवल आप लोगों को फ़तेहपुर की

घटना ही याद आती है। मैं इनको आज बता देना चाहती हूं कि हमने मध्य प्रदेश का कांड भी सदन में उठाया था, हमने अपने ही क्षेत्र अलीगढ़ का भी कांड उठाया था, जहां पर कि एक हरिजन को जिंदा जला दिया गया था, 45 घर जला दिए गए थे, वहां परीक्षाएं चल रही थीं और बच्चों की कापियां, किताबें, सर्टिफिकेट तक जला दिए गए, लेकिन आज तक सरकार का कोई भी मंत्री या कोई भी व्यक्ति वहां नहीं गया। कानपुर में घटनाएं हुई हैं, बांदा में घटनाएं हुई हैं, मांडा जहां पर प्रधानमंत्री का अपना घर है, वहां घटनाएं हुई हैं, अभी पिछले दिनों जब मैं वहां कानपुर गई थी तो वहां आंगनवाड़ी की एक हरिजन महिला, जो अपना वेतन लेकर घर जा रही थी, उसके साथ बलात्कार किया और उसको मार डाला गया।

मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा गठित आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री रामधन जी शोषित समाज से आते हैं। ... (**समय की घंटी**).... मैंने तो अभी बोलना ही शुरू किया है और बड़ी लगन है उनके अंदर इस समाज के लिए कुछ करने की, लेकिन मैं बता देना चाहती हूं, राम विलास पासवान जी जा रहे हैं, मैं चाहती हूं कि कुछ सुनकर जाएं, कुछ कड़वी बातें जरूर हैं लेकिन हैं सच्ची। अभी 13 फरवरी को उन्हीं अध्यक्ष महोदय के एक रिश्तेदार थे, जो इंजीनियर थे उस शैडयूल्ड कास्ट के इंजीनियर का एक विधायक ने मरवा डाला। ऐसा आरोप है, समाचार पत्रों में भी छपा है।...(**व्यवधान**)

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, प्वाइंट आफ आर्डर है। श्रीमती सत्या बहिन फैक्ट सही नहीं बता रही हैं। मैं वहीं का रहने वाला हूं। उसकी जांच हुई, गुप्तचर, उच्चस्तरीय जांच हुई और उसमें विधायक के खिलाफ कोई आरोप नहीं पाया गया और न तो एफ.आई.आर. में ही विधायक का नाम था।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, it is not a point of order.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : रामधन जी के रिश्तेदार इंजीनियर की हत्या हुई। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सत्या बहिन : एफ.आई.आर. में विधायक रमा कान्त यादव और विधायक के भाई उमा कान्त यादव का नाम दर्ज था, लेकिन उसको बचाने के लिए सी.आई.डी. को रिपोर्ट दे दी गई। उसको बचाने के लिए यह सब ड्रामा किया गया। अब आप उसको जो चाहे रूप दे दीजिए, आपकी सरकार है, आप स्वतंत्र हैं, चाहे जो करिए।

मान्यवर, तो यह प्रश्न है कि किस प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों को उत्पीड़न से बचाया जाना चाहिए? मान्यवर, ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Your time is over. Please conclude.

श्रीमती सत्या बहिन : मान्यवर, मेरा पांच मिनट का टाइम है। जब सभी बोले हैं तो मुझे कम से कम इतना तो टाइम मिलना ही चाहिए। मैं बड़े संक्षेप में बड़े महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ...(**व्यवधान**).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Your five minutes are over. Your other colleagues have taken more time. Your colleagues have committed an atrocity on you!

श्रीमती सत्या बहिन : मान्यवर, जब मैं इन क्षेत्रों में गई, चाहे वह सैलैया का मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो, चाहे अलीगढ़ का क्षेत्र हो, चाहे फतेहपुर का क्षेत्र हो, वहां जो एक बात सबसे ज्यादा मुझे तकलीफदेह लगी वह यह लगी कि इन हत्याओं पर मुआवजा देने में कितना भारी पक्षपात होता है। 7000 रुपए या 10000 रुपए के मुआवजे की सरकार घोषणा करती है एक हरिजन के मरने पर। मान्यवर, मैंने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी से बात की थी तो उन्होंने

[श्रीमती सत्या बहिन]

बताया था कि मेरे पास कोई वधानिक क्षमता नहीं है इससे ज्यादा देने को। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास यही वधानिक क्षमता है कि हरिजनों के लिए ही सभी पाबंदियां हैं? यदि एक आदमी दुर्घटना में मर जाता है तो उसको एक लाख रुपया मिलता है, लेकिन जब हरिजन को मार दिया जाता है तो सरकार की वधानिक क्षमता सिर्फ 10000 रुपए रहती है? तो मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार कुछ व्यवहारिक कदम उठाए, कोई व्यापक योजना बनाए और अनुसूचित जाति के नौजवानों और हर परिवार को रोजगार की गारंटी दे। जब उनका आर्थिक शोषण बंद होगा तो सामाजिक शोषण पर अपने आप वे लड़ लेंगे, उनके अंदर लड़ने की क्षमता होगी।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि अनुसूचित जाति के लोगों पर जहां अत्याचार होते हैं वहीं पर उनके पास आत्मरक्षा के लिए कोई शस्त्र नहीं होता है और बहुत सी जगहों पर, जहां हरिजनों पर सामूहिक अत्याचार हुए हैं, तो हमने उन पीड़ित हरिजनों से कहा कि तुमने अत्याचार का या हमले का मुकाबला क्यों नहीं किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि सवर्ण हमलावरों के पास तो 40 हथियार थे और हमारे पास कोई शस्त्र नहीं होता तो हम कैसे मुकाबला करें? मान्यवर, यह वैधानिक शर्त कर देनी चाहिए कि जिन लोगों को शस्त्र के लाइसेंस दिए जाएं उन पर इसकी पाबन्दी होनी चाहिए कि अगर उनके क्षेत्र में हरिजनों पर अत्याचार होते हैं और उनकी सुरक्षा में वे आगे नहीं आते हैं तो उनके शस्त्र जब्त कर लेने चाहिएं और हरिजनों को लाइसेंस मिलने चाहिएं। मान्यवर, मैं कुछ और बिन्दुओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। इस आयोग को कहां तक वधानिक अधिकार मिलते हैं, यह तो भविष्य बताएगा लेकिन सर्विस ट्राईब्यूनल जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, मैं आग्रह करूंगी कि आप इसकी भी रिपोर्ट मंगाएं क्योंकि मैं बहुत से आई०ए०एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों को जानती हूं जिनके बारे में ट्राईब्यूनल ने यह निर्णय दिया है कि उन्होंने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है लेकिन फिर भी उनकी प्रमोशन रोकी गई और उनके साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता है। तो जब ट्राईब्यूनल से फैसला हो जाता है तो उसको लागू क्यों नहीं किया जाता है?

महोदय, यदि किसी शैडयूल कास्ट या ट्राइब के अधिकारी के खिलाफ टिप्पणी होती है तो उस पर तुरंत एक्शन होता है और इतना एक्शन होता है कि उसको उससे ज्यादा दंड दे दिया जाता है। तो ये जो बहुत सी अनिवार्यता बातें हैं इनको लागू करना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A BABY): Please conclude.

श्रीमती सत्या बहिन: महोदय, अंतिम बात यह है कि यहां पर व्यावहारिक कदम उठाने की बात हुई है। हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है और जहां तक शैड्यूल कास्ट के लोगों का सवाल है, हर परिवार को रोजगार देने की गारंटी दी जानी चाहिए चाहे वह स्वरोजगार की गारंटी हो या सरकारी नौकरी की गारंटी हो। दूसरी बात यह है कि उन नौजवानों को जो अंतरजातीय शादियां करते हैं और शैडयूल कास्ट की लड़कियों या लड़कों के साथ करते हैं... **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please conclude. You have made your point.

श्रीमती सत्या बहिन: तो उन लोगों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जब हमारे देश की, हमारे समाज की मानसिकता कुछ बदलेगी तभी यह समस्या हल हो सकेगी वरना हम आयोग बनाते रहेंगे और आयोगों की रिपोर्ट मिलती रहेंगी लेकिन कुछ नहीं होगा।

तो मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इसके लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठाए जाएं। हम राजनीतिक दलों के लोग यहां पर बहुत सी बातें करते हैं कि हम हरिजनों के लिए जाति-पांति के भेदभाव को मिटाते हैं लेकिन कित

तरह मिटाते हैं? हमें कुछ व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए और उसके लिए रोटी और बेटी का व्यवहार बहुत आवश्यक है। कम से कम हम राजनतिक समाज सेवकों को इसके लिए आगे आना चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Constitution (Sixty-Eighth) Amendment) Bill moved by the Minister of Labour and Social Welfare.

It is rather strange that in spite of all the tears shed over the plight of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes the Government in our country earlier could not enact a provision for a statutory Commission for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. It is only in the forty-first year of the Constitution that it is before us. Listening to the various criticisms from the Opposition Benches, this point occurred to me again and again, why this was not done in so many years.

That does not mean that this Amendment in itself would bring a millennium for the Scheduled Castes, for the down-trodden people. But it is an attempt to put it on an even keel. It seems to me there are certain deficiencies in the Bill also. It was pointed out by Mr. Hanumanthappa what should be the tenure of the Commission has not been stated. There is another deficiency. It is said that subject to the provisions of any Act of Parliament these things will happen. It may be that the formulations of the bye-laws are inherent. It is right, but there is no provision for authorising the Commission to frame the bye-laws for running itself. But at the same time, if we go in for amending these provisions that would mean that a welcome legislation would be delayed. The legislation is a welcome thing, but it is a delayed approach. This beginning has to be hastened, not *halted. That aspect has to be kept* in view.

I would like to point out another aspect. The reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes was never an end in itself. The original framers of the Constitution. or if you like to call the founding fathers of the Constitution, of whom the foremost was Dr. Ambedkar himself belonged to this category. Now, the idea of reservation was for a specified period during which their conditions should be so improved as would render it unnecessary to continue the reservations. But now we are finding that it is going to be a permanent feature of our national life. It should not be so. After the Commission has been set up. efforts should be made to bring up these sactions of the society so as to render reservations unnecessary.

ANNOUNCEMENT BY DEPUTY CHAIRMAN REGARDING REPRIMAND TO SHRI K. K. TEWARY— Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Mr. Shiv Shanker, do you want to say something?

SHRI P. SHIV SHANKER: It is resolved by the Congress Party in Parliament that the first para of the Resolution passed this morning in the matter of breach of privilege be deleted as it is unnecessary and the second para, which is the operative portion, should alone be retained as it conveys the decisions of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): As the matter has already been concluded, there is no more discussion on this particular issue. Shiv Shanker Ji just expressed what he wants. The matter has already been concluded. Therefore, we continue with the discussion.